रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-78 REGISTERED NO. D-(D)-- 78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2, 1978 (अग्रहायण 11, 1900)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2, 1978 (AGRAHAYANA 11, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 अक्तूबर 1978

सं० ए० 35017/1/75-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-11-77 के अनुक्रम में महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व के लेखा अधिकारी श्री एच० आर० सिंह को 9-9-78 से एक वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर, राजपत्रित श्रेणी-II लेखा अधिकारी के सामान्य केन्द्रीय सेवा के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

एस० बालचन्द्रन,
अवर सचिव,
कृते सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 78

सं० 87 आर सी 28 :—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री एच एस० राठौर, केन्द्रय सतर्कता आयोग के एक स्थायी सहायक, को इस आयोग में 26-10-78 से 18-11-78 तक अथवा अग्रिम आदेश तक, जो भी पहिले हो, स्थानापन्न रुप से अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

श्री निवास
अवर सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कमा आयुक्त

गृह मंत्रालय

का० एवं प्र० रा० विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 1978

सं० ए०-19036/19/76-प्रशा०-5—राजस्थान राज्य पुलिस में प्रत्यावर्तन हो जाने पर, राजस्थान राज्य पुलिस के अधिकारी एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उप-अधीक्षक श्री एन० के० त्रिपाठी ने दिनांक 28-10-78 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उप-अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया।

जरनैल सिंह,
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

तस्करी रोधक निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 1978

सं० I—इस निदेशालय के दिनांक 5-6-1978 के आदेश सं० 203/1/डी०ए० एस०-1/77 के अनुसार क्रमशः इलाहाबाद तथा पटना में स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालियों में निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (वरीय ग्रेड) के पद पर काम कर रहे श्री ओ० एस० अहमद और के० एस० चावला ने, इस निदेशालय में निरीक्षण अधिकारी ग्रुप ख के रूप में प्रतिनियुक्ति होने पर 13 जून, 1978 से रू०-650 30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में तथा विशेष वेतन और संबंधित नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य सामान्य भत्तों सहित तथा अगला आदेश होने तक उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया है।

भारत बी० जूल्फा,
निदेशक, तस्करी रोधक निदेशालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंक नोट मुद्रणालय,

देवास, दिनांक 7 अक्तुबर 1978

सं० बी० एन० पी०/सी०/5/78—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-8-78 के अनुक्रम में प्रतिनियुक्ति पर आए श्री एन० जी० किबे, लेखा अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 1-8-78 से 31-12-78 तक बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में मानक प्रतिनियुक्ति के शर्तों के आधार पर बढ़ाई जाती है।

मु० वै० चार
उप-महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 1978

सं० 1505-सी० ए० 1/349-69—अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) ने श्री एस० एन० पलसाने लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) को भारत सरकार गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013/7/77-स्थापना (ए) दिनांक 26-8-77 के उपबन्ध के अधीन तारीख 23-9-1978 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से स्वेच्छा पर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति दे दी है।

सुशील देव भट्टाचार्य,
संयुक्त निदेशक (वाणिज्यिक)

महालेखाकार कार्यालय जम्मू व काश्मीर

श्रीनगर, दिनांक 7 नवम्बर 1978

सं० प्रश० 1/60(60)/78-79/2801-08—महालेखाकार जम्मू व कश्मीर ने आगामी आदेश तक के लिए इस कार्यालय के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री भूती लाल धर (जन्म तिथि 17-8-1939) को 30-10-1978 पूर्वाह्न से लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

एम० एम० मुबारकी,
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन तथा अधिकरण)

कार्यालय महालेखाकार राजस्थान

जयपुर, दिनांक 3 नवम्बर 1978

सं० प्रशा०-II/जी० जी० अधि०/940—महालेखाकार राजस्थान ने श्री एच० एस० देव अनुभाग अधिकारी को 26-4-77 (पूर्वाह्न) से प्रोफार्मा बेसिस पर अग्रतर आदेश के जारी होने तक इसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति किया है।

र० म० बोरकर
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय मुख्यलखा परीक्षक, पूर्वोत्तर रेलवे

गोरखपुर, दिनांक 7 नवम्बर 1978

सं० एडमिन/18-6(2)/68—श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी का स्वर्गवास दिनांक 18 अक्टूबर, 1978 को पूर्वाह्न में हो गया है।

के० जी० महालिंगम,
उप मुख्य लेखा परीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे

डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालय सिविल सेवा,

महानिदेशालय, आर्डनेंस फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 1 नवम्बर 1978

सं० 14/78/ए०/ई०-I—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर, श्री अमरेन्द्र नाथ चौधुरी, मौलिक एवं स्थायी ए० एस० ओ० दिनांक 31-10-1978 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

डी० पी० चक्रवर्ती,
ए० डी० जी०ओ० एफ० प्रशासन
कृते महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरियां

भारतीय आर्डनेंस एवं उपस्कर फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 7 नवम्बर 1978

सं० 11/78/ए०एम०—राष्ट्रपति, डा० श्रीकृष्ण महापात्र, सहायक चिकित्सा अधिकारी, आर्डनेंस फैक्टरी, भण्डारा का त्यागपत्र दिनांक 8-6-1978 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

ब्रिगेडियर के० सी० सक्सेना
स्वास्थ्य सेवा निदेशक
कृते महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरियां

भारतीय आर्डनेंस फैक्टरियां सेवा

महानिदेशालय, आर्डनेंस फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 28 अक्तूबर 1978

सं० 69/जी०/78—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर निम्नलिखित अधिकारीगण प्रत्येक के सामने दर्शाई गयी तारीख से सेवा निवृत्त हुए :—

क्र० सं०	नाम एवं पद	सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3
1.	श्री पी० राय, स्थानापन्नह् वरिष्ठ डी० ए० डी० जी० ओ० एफ (मौलिक एवं स्थायी डी० एडी० जी० ओ० एफ)	30 अप्रैल, 1975
2.	श्री एन० एन० सिन्हा, स्थानापन्न वरिष्ठ डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०) (मौलिक एवं. स्थायी डी० ए० डी०जी० ओ०एफ)	31 जनवरी, 1976 (अपराह्न)
3.	श्री सनत कुमार रे, मौलिक एवं स्थायी वरिष्ठ डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०	31 जनवरी, 1976 (अपराह्न)
4.	श्री वो० बी० चटर्जी, स्थानापन्न वरिष्ठ डी० ए० डी० जी० ओ० एफ (मौलिक एवं स्थायी डी० ए० डी० जी०ओ० एफ)	29 फरवरी, 1976 (अपराह्न)
5.	श्री वी० एन० रे, मौलक एवं स्थायी ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-II	29 फरवरी, 1976 (अपराह्न)
6.	श्री वी० एम० तनेजा, मौलिक एवं स्थायी ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-I	31 मार्च, 1976 (अपराह्न)
7.	श्री के० सी० पाल, स्थानापन्न ए०डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-II (मौलिक एवं स्थायी ए० डी० जी० ओ० एफ)	31 मार्च, 1976 (अपराह्न)
8.	श्री बी० सी० नियोगी स्थानापन्न वरिष्ठ डी० ए० डी० जी० ओ० एफ (मौलिक एवं स्थायी डी० ए० ए० जी० ओ० एफ०)	30 सितम्बर, 1976 (अपराह्न)
9.	श्री टी० बी० चिदाम्बरम मौलिक एवं स्थायी ए डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०)	30 सितम्बर, 1976 (अपराह्न)
10.	श्री जे०पी० दासगुप्ता, स्थानापन्न वरिष्ठ डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०) (मौलिक एवं स्थायी डी० ए० डी० जी० ओ० एफ०)	31 दिसम्बर, 1976 (अपराह्न)

दिनांक 4 नवम्बर 1978

सं० 75/78/जी०—वार्धक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्त करके श्री एस० एन० धीर, मौलिक एवं स्थायी उप-प्रबन्धक दिनांक 31-5-1978 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

वी० के० मेहता
सहायक महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरियां

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-1)

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 1978

सं० प्र०-1/1(1103)/78—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा श्री जी० नन्दगा अधीक्षक को दिनांक 16-10-78 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक निरीक्षण निदेशक (धातु) बर्नपुर के कार्यालय में सहायक निदेशक (ग्रेड-11) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

सूर्य प्रकाश
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 4 नवम्बर 1978

सं० 7410बी०/2222(पी० के० एम०)/19ए०—प्रदीप्त किशोर महन्ती को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रतिमाह के आरंभिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न

क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 12 सितम्बर, 1978 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

सं० 7422 बी/2222(एम० एच० पी०)/19 ए०—श्री मंथा हरि प्रसाद को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रतिमाह के प्रारंभिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 11 सितम्बर, 1978 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

दिनांक 6 नवम्बर 1978

सं० 7471 बी-०/2222(बी० के० के०)/19ए०—श्री वसन्त किशन खडुसे को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रतिमाह के प्रारंभिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 7 सितम्बर, 1978 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

दिनांक 7 नवम्बर 1978

सं० 7501 बी/2222(एन० वी० वी०)/19 ए०—श्री एन० वी० वेंकटरमन को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रतिमाह के प्रारंभिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 31 अगस्त, 1978 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

सं० 7512 बी/2222(के० जी० आर०)/19ए०—श्री कदावल्लूर गोपालकृष्णन राधाकृष्णन को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रतिमाह के प्रारंभिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 30 अगस्त, 1978 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

सं० 7525 बी/2222(के०के)/19 ए०—श्री के० कुमारन को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रतिमाह के प्रारंभिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०—35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 4 सितम्बर, 1978 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

सं० 7537 बी/2222(ए० के० डब्ल्यू०)/19 ए०—श्री अशोक कुमार वांगु को सहायक भवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रतिमाह के प्रारंभिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, आगामी आदेश होने तक 13 सितम्बर, 1978 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जा रहा है।

वी० एस० कृष्णस्वामी,
महा निदेशक

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 7 नवम्बर 1978

सं० ए०-19012/103-78-स्था० ए०—श्री आर० के० घोणगे, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को दिनांक 16 अक्टूबर, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक रसायनविद् के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सं० ए०-19012/104/78-स्था० ए०—श्री आर० ए० मिश्रा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को दिनांक 16 अक्तूबर, 1978 के पर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक रसायनविद् के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

दिनांक 8 नवम्बर 1978

सं० ए०-19012/107/78-स्था० ए०—भारतीय खान ब्यूरो के स्थानापन्न अधीक्षक श्री के० एस० शर्मा को 24 अक्टूबर, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक प्रशासन अधिकारी के रूप में पदोन्नति की गई है।

एस० बालागोपाल
कार्यालय अध्यक्ष

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 4 नवम्बर 1978

सं० सी-5428/707—निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी सर्वेक्षक (ग्रुप 'बी' पद) के पद पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनन्तिम रूप में नियुक्त किया जाता है:—

सं० नाम तथा पद	यूनिट/कार्यालय	से लागू
1. श्री यशपाल कालरा, वैज्ञानिक सहायक सी० ग्रेड	सं० 69 (संगणक) पार्टी (ज्यो० एवं अनु० शाखा) देहरादून।	12 मई 1978 (पूर्वा०)
2. श्री एन० सी० गोरे सर्वेक्षण सिले० ग्रेड	सं० 35 पार्टी (पूर्वो-त्तर स०) गोहाटी	11 अगस्त, 1978 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
3.	श्री ए० के० उनियाल, सर्वे० सिले० ग्रेड	सं० 19 पार्टी (ज्यो० एवं अनु० शाखा) देहरादून	22 सितम्बर 1978 (पूर्वा०)
4.	श्री के०एस० नामधारी वैज्ञानिक सा० सहायक ग्रेड	सं० 19 पार्टी (ज्यो० एवं अनु० शाखा) देहरादून	22 सितम्बर 1978 (पूर्वा०)
5.	श्री भगवान सिंह ज्योडेय संगणक, सा० ग्रेड	सं० 69 (संगणक) पार्टी (ज्यो० एवं अनु० शाखा) देहरादून	22 सितम्बर 1978 (पूर्वा०)
6.	श्री जे० एल० जे० राव सर्वेक्षक सिले० ग्रेड	प्राक मानचित्र उत्पादन संयंत्र, हैदराबाद	25 सितम्बर 1978 (पूर्वा०)
7.	श्री बलराम सिंह ड्राफ्टसमैन डीवीजन सिले० ग्रेड	सं० 6 आरेखण कार्यालय (उ० स०) देहरादून	3 अक्तूबर, 1978 (पूर्वा०)

दिनांक 8 नवम्बर 1978

सं० गो० 5431/718-ए०—श्री वां खुमा, स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक (सीनीयर स्केल) सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्र उत्पादन केन्द्र को श्री एच० डी० चक्रवर्ती, स्थापना एवं लेखा अधिकारी, जो 30 जून 78 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो चुके हैं, के स्थान पर 840-40-1000-द० रो० -40-1200 रु० के वेतनमान में 840/- रु० प्रति माह सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद में 1 जुलाई, 78 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर स्थानापना एवं लेखा अधिकारी (सा० के० से० ग्रुप 'बी०') के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है।

के० एल० खोसला
मेजर-जनरल
भारत के महासर्वेक्षक

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 नवम्बर 1978

सं० ए०-38013/1/78-स्था०—अधिवार्षिकी आयु के हो जाने पर, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के एच० वी० भट्टाचार्या, सहायक मुद्रण प्रबन्ध (मुद्रित प्रचार) 30 सितम्बर, 1978 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

आर० के० देवासर
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1978

सं० ए०-31013/4/77- (ए० आई० आई० पी० एम० आर०)/प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री जी० टी० मत्ता को 10 अगस्त, 1976 से अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा तथा पुनर्वास संस्थान, बम्बई में व्यावसायिक मार्गदर्शन विभाग के चीफ के पद पर स्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 10 नवम्बर 1978

सं० ए० 12026/24/78-ए० आई० आई० एच पी० एच० प्र०-I—राष्ट्रपति ने डा० सुशील सिंह श्रीवास्तव को भारतीय सांख्यकीय सेवा के ग्रेड-I के पद पर नियुक्त किया है तथा उन्हें 12 अक्टूबर, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अखिल भारतीय स्वस्थ्य विज्ञान तथा जन-स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में सांख्यकीय के प्रोफेसर के पद पर अस्थाई आधार पर तैनात किया है।

शाम लाल कुठियाला
उप निदेशक प्रशासन

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 8 नवम्बर 1978

सं० फा० 4-6(100)/78-प्र०-III—श्री आर० एम० पराटे, स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी को विदेश सेवा की तरह भारत का राज्य व्यापार निगम, मर्यादित में उप विपणन प्रबन्धक (वर्ग-II) के पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 6-2-78 के पूर्वाह्न में इस निदेशालय में बम्बई में उन्हें पदभार से मुक्त किया गया है।

दिनांक 9 नवम्बर 1978

सं० ए० 19023/4/78-प्र०III—विपणन अधिकारी (वर्ग I) के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों की अल्पकालीन नियुक्ति को दिनांक 31-12-78 तक या जब तक नियमित प्रबन्ध किए जाते हैं, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, बढ़ाया गया है:—

1. श्री एस० बी० चक्रवर्ती
2. श्री एस० बी० कृष्णमूर्ति
3. श्री आर० वी० कुरुप
4. श्री के० सूर्यनारायण
5. श्री एस० पी भसीन
6. श्री ए० सी० गुडन
7. श्री आर० नरसिम्हन
8. श्री एम० चक्रवर्ती ।

सं० ए० 19024/5/78-प्र०III—मुख्य रसायनज्ञ के पद पर श्री चन्द्र प्रकाश की अल्पकालीन नियुक्ति को दिनांक 31-12-78 तक या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाता है, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, बढ़ाया गया है।

सं० ए० 19024/9/78-प्र०III—मुख्य रसायनज्ञ के पद पर श्री ए० ए० एस० प्रकाश राव की अल्पकालीन नियुक्ति को दिनांक 31-12-78 तक, या जबतक पद नियमित आधार पर भरा जाता है, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, बढ़ाया गया है।

सं० ए० 19025/65/78-प्र०-III—सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग-I) के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों की अल्पकालीन नियुक्ति को दिनांक 31-12-78 तक, या जब तक नियमित प्रबंध किए जाते हैं, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, बढ़ाया गया है।

1. सर्व श्री :—

1. राम शब्द सिंह
2. बी० एन० के० सिन्हा
3. नन्दलाल सिंह
4. ए० एन० राव
5. आर० वी० एस० यादव
6. एम० पी० सिंह
7. डी० पी० सिंह
8. एच० एन० राय
9. डी० एन० राव
10. एस० पी० शिन्दे
11. आर० सी० मुंशी
12. के० के० तिवारी
13. एस० के० मलिक
14. एस० डी० कथलकर
15. आर० के० पान्डे
16. एम० जे० मोहन राव
17. के० के० सिरोही
18. श्रीमती अनुसूय्या शिवराजन
19. श्री वी० ई० इडविन
20. एस० पी० सक्सेना
21. एन० जी० शुक्ला
22. आर० सी० सिंघल
23. एच० एन० शुक्ला
24. के० जी० वाघ
25. एस० टी० रजा
26. के० सूर्यनारायणन मूर्ति

बी० एल० मनिहार
निदेशक, प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 10 नवम्बर 1978

सं० एम०/881/एम० ई० डी०/स्थापना-4/10390—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती रोशन बरजोर मिस्त्री, एक स्थाई सिस्टर एवं स्थानापन्न सहायक मेट्रन को, इसी अनुसंधान केन्द्र में दिनांक 23 अक्टूबर, 1978 से 22 नवम्बर, 1978 तक श्रीमती टी० आर० वलसंगकर मेट्रन की जगह पर जो अस्पताली प्रबन्ध के तेईसवें पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिए दिल्ली भेजी गई हैं, स्थानापन्न मेट्रन के तौर पर नियुक्त करते हैं।

राम लाल बत्रा
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद-500016, दिनांक 7 नवम्बर 1978

सं० प० ख० प्र०-1/10/77-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक परमाणु खनिज प्रभाग के सहायक श्री लक्ष्मी नारायण को इसी प्रभाग में दिनांक 27-9-78 से 7-11-1978 तक के लिए श्री जे० आर० गुप्ता, सहायक कार्मिक अधिकारी, जो कि प्रशिक्षण हेतु गए थे, के स्थान पर पूर्णतः अस्थायी पद पर, सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० वाई० गोखले
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

भारी पानी परियोजनाएं

बम्बई-400008, दिनक 13 नवम्बर 1978

सं० भापाप/1/क-9/5200—श्री मारुति मंगेश कसबेकर, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी सहायक लेखा अधिकारी तथा भारी पानी परियोजना (मुख्य कार्यालय) के स्थानापन्न लेखा अधिकारी II, सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 1978 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त कर दिए गए हैं।

आर० सी० कोटियनकर
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

सिविल इंजीनियरी प्रभाग

बंगलौर-560025 दिनांक 2 नवम्बर 1978

सं० 10/3(44)/78-सि०ई०प्र०(मु०)—अन्तरिक्ष विभाग में सिविल इंजीनियरी प्रभाग के मुख्य अभियन्ता तमिलनाडु सरकार के लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियर

श्री ए० लक्ष्मणा राजा को अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी भाग में प्रतिनियुक्ति पर इंजीनियर एस० बी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 11 अगस्त, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

पी० आई० यू० नम्बियार
प्रशासनिक अधिकारी-II
कृते मुख्य अभियन्ता

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर 1978

सं० ए० 32013/4/77-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित दो सहायक संचार अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से छः मास के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर संचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है तथा प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है :—

क्र० सं०	नाम	मौजूदा तैनाती स्टेशन	स्टेशन जिस पर तैनात किया गया	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्री आर० के० मुखर्जी	वै० सं० स्टेशन, कलकत्ता	वै० सं० स्टेशन, कलकत्ता	22-6-78 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एफ० जे० रोड्रिग्स	वै० सं० स्टेशन, मद्रास	वै० सं० स्टेशन, मद्रास	22-6-78 (पूर्वाह्न)

सं० ए० 32013/14/77-ई० सी०—राष्ट्रपति ने महानिदेशक नागर विमानन कार्यालय (मुख्यालय) के सहायक निदेशक संचार, श्री बी० आर० चतुर्वेदी को जो तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं, दिनांक 4-9-1978 (पूर्वाह्न) से उपनिदेशक/नियंत्रक संचार के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है और उन्हें उसी कार्यालय में तैनात किया है।

सं० ए० 38012/1/77-ई० सी०—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जे० एन० गंगुली, सहायक तकनीकी अधिकारी, नियंत्रक संचार का कार्यालय, वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता ने सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर दिनांक 28-2-1978 को अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दिनांक 25 अक्तूबर 1978

सं० ए० 32013/11/77-ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री एस० वेंकटेश्वरन, तकनीकी अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई को दिनांक 31-7-1978 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है और उन्हें क्षेत्रीय निदेशक, बम्बई के कार्यालय में तैनात किया है।

सत्य देव शर्मा,
उप निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्तालय

कानपुर, दिनांक 1 नवम्बर 1978

सं० 28/78—श्री रमिन्दर सिंह, निरीक्षक (प्रवरण कोटि) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग-ख, वेतनमान रू० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200, के पद पर अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप—देखिए इस कार्यालय के पृष्ठांकन प० सं० 11-22-ई० टी०/78/44 दिनांक 9-1-1978 के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय स्थापना आदेश सं० 1/ए०/4/1978 दिनांक 9-1-1978 अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सतर्कता) कानपुर के पद का कार्यभार दिनांक 2-2-1978 (पूर्वाह्न) ग्रहण किया।

सं० 40/78—इस कार्यालय के पत्र संख्या 11-22-स्था०/78/27369 दिनांक 1-6-78 तथा उसी संख्या के 35862 दिनांक 21-7-78 के अन्तर्गत निर्गत आदेश संख्या 1/ए०/149/78 दिनांक 1-6-78 तथा 1/ए०/212/78 दिनांक 19-7-78 के फलस्वरूप श्री सुरेन्द्र कुमार गढौक, अधीक्षक वर्ग 'ख' ने उप समाहर्ता, मेरठ के कार्यालय का कार्यभार दिनांक 3-8-78 (अपराह्न) को श्री डी० एन० भाटिया, अधीक्षक को सौंपकर दिनांक 8-8-78 पूर्वाह्न को सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ प्रखण्ड में कार्यभार ग्रहण कर लिया।

सं० 44/78—श्री रघुबर दयाल, स्थानापन्न, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक वर्ग 'ख' एम ओ० आर० II फरुखाबाद के पद का कार्यभार दिनांक 31-10-78 (अपराह्न) को श्री पी० एस० तिवारी, अधीक्षक वर्ग 'ख' फरुखाबाद को सौंप दिया और अधिवार्षिता की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31-8-78 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए।

सं० 45/78—श्री एच० पी० पान्डेय, स्थापना अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' कानपुर II प्रखण्ड ने अधीक्षक (प्राविधिक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रखण्ड II के पद का कार्यभार दिनांक 30-9-78 (अपराह्न) को श्री आर० एन० लाल, अधीक्षक प्रखण्ड II और अधिवार्षिता की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से दिनांक 30-9-78 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए।

के० एल० रेखी,
समाहर्ता

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 10 नवम्बर 1978

सं० 25-प्रशासन (1)/78—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर नौवहन महानिदेशक एतद्द्वारा इसी निदेशालय के स्थानापन्न अधीक्षक श्री के० एस० बुटानी को तारीख 25 अक्तूबर, 1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक कार्यकारी अधिकारी/फैट इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के रूप में अस्थायी तौर पर नियुक्त करते हैं।

एस० एम० ओबराय,
उप महानिदेशक

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 1978

सं० ए०-32014/1/77-प्रशा० 5(खण्ड 2)—विभागीय पदोन्नति समिति (श्रेणी ख) की सिफारिशों के आधार पर, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, इस समय तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे निम्नलिखित सहायक इंजीनियरों को उसी ग्रेड के रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में उनके सामने दी गई तारीख से, नियमित रूप में नियुक्त करते हैं ।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	नियमित पदोन्नति की तारीख
1.	श्री बी० श्रीनिवासचारलू	14-1-1978 (अपराह्न)
2.	श्री आर० के० भावल	9-6-1978 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारी उनके सामने दी गई तारीख से दो वर्ष तक की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे ।

दिनांक 4 नवम्बर 1978

सं० ए०-19012/744/78-एडमि० -प्रशा०-पांच—विभागीय पदोन्नति समिति (ग्रुप बी०) की सिफारिश पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, श्री मेंहबूब अली, अभिकल्प सहायक/पर्यवेक्षक को अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के रूप में पूर्णतया तदर्थ आधार पर रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में 25-9-78 की पूर्वाह्न से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा जब तक यह पद नियमित आधार पर नहीं भरा जाता, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं ।

2. श्री मेहबूब अली की नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ एवं अस्थाई आधार पर है तथा इस प्रकार की गई सेवा के आधार पर वे पदोन्नति अथवा वरिष्ठता के दावेदार नहीं होंगे ।

दिनांक 9 नवम्बर 1978

सं० क०-19012/4/72-प्रशा०-पांच—सेवानिवृत्ति की आयप्राप्त करने के फलस्वरूप श्री पी० एन० सेठी ने 31 अक्तूबर, 1978 के अपराह्न से केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

अवर सचिव

जे० के० साहा,

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

फरीदाबाद, दिनांक 9 नवम्बर 1978

सं० 3-310/73-ईस्ट०(इ०)—श्री पी० एस० तहीम दिनांक 25-9-1978 (पूर्वाह्न) से सहायक अभियन्ता के पद पर अस्थाई तौर से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, अहमदाबाद में नियुक्त किया जाता है ।

अजीत सिंह,

मुख्य अभियन्ता एवम सदस्य

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण

नई दिल्ली, 110022, दिनांक 9 नवम्बर 1978

सं० 6/11/78-2—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित तकनीकी सहायकों को केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी (श्रेणी-2) सेवा में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के ग्रेड में उनके नामों के सामने दी गई तिथियों से अन्य आदेश होने तक स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :—

1. श्री ए० एच० कुलकर्णी—26 सितम्बर, 1978 (अपराह्न) ।

2. श्री एम० वी० एस० राजेश्वर राव—26 सितम्बर, 1978 (अपराह्न) ।

3. श्री एम० जी० गुप्ता—4 अक्तूबर, 1978(अपराह्न) ।

संतोष विश्वास,

अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 ग्लोब एक्सपोर्ट प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 3 नवम्बर 1978

सं० 1425 टी० (560) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर ग्लोब एक्सपोर्ट प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी ।

वि० एस० राजु,

कम्पनियों का रजिस्ट्रार,

आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और जूयल चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक 7 नवम्बर 1978

सं० 1815/560/78—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर जूयल चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और चामुंडेश्वरी आईल्स एण्ड प्रोटीनस एक्सट्राकइनस लिमिटेड के विषय में

बंगलौर, दिनांक 7 नवम्बर 1978

सं० 2767/560/78—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर चामुंडेश्वरी आईल्स अंड प्रोटीन एक्साट्रकइनस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

एस० एन० गुहा
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
कर्नाटक ।

अहमदाबाद 380009, दिनांक 9 नवम्बर 1978

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 445(2) के आधीन सूचना :

मैसर्स अमुल ट्रान्समीशन प्राईवेट लिमिटेड लाइन्स हार्डवेयरज लिमिटेड के विषय में

1303/लीक्वीडेशन कम्पनी अरजी नं० 53/1976 में अहमदाबाद स्थित उच्च न्यायालय के तारीख 1-9-1978 के आदेश द्वारा मैसर्स अमूल ट्रान्समीशन लाइन्स हार्डवेयर प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापन का आदेश दिया गया है ।

जे० गो० गाथा,
प्रमंडल पंजीयक, गुजरात

कार्यालय आयकर अपील अधिकरण

बम्बई-400020, दिनांक 6 नवम्बर 1978

सं० एफ० 48-ए० डी० (ए०टी०)/78 भाग II—श्री आर० के० घोष, स्थानापन्न सहायक अधीक्षक, आयकर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई जिन्हें तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आयकर अपील अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर में तीन महीने के लिए अर्थात् दिनांक 18-8-78 से 15-11-78 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गयी थी, देखिए । इस मंत्रालय के दिनांक 22-8-1978 की अधिसूचना क्रमांक एफ० 48-ए० डी० (ए०टी०)/78 भाग II, को उसी क्षमता में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आयकर अपील अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर में और तीन महीने के लिए अर्थात् 18-11-1978 से 28-2-1978 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति दी जाती है ।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री आर० के० घोष को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जायगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी ।

पी० डी० माथुर, अध्यक्ष

कार्यालय आयकर आयुक्त, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 1978

आयकर

सं० जूरि०-दिल्ली/1/78-79/27580—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वां) की धारा 125 ए० की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर जारी पहले की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-1 निदेश देते हैं कि आयकर अधिकारी कम्पनी सर्किल 20 नई दिल्ली को किसी क्षेत्र या व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों या आय या आय के वर्गों या मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में प्रदान की गई या सौंपी गई किसी भी या सभी शक्तियों या कार्यों का प्रयोग या निष्पादन समयावर्ती रूप से निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज 1 ई० करेंगे ।

2. आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, कार्य निष्पादन की सुविधा के लिए निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज-1 ई को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 125 ए० की उपधारा (2) में अपेक्षित आदेशों को भी पास करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

यह अधिसूचना 4-11-1978 से लागू होगी ।

सं० जूरि-दिल्ली/1/78-79/27711—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर पहले के सभी आदेशों में संशोधन करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कलम-1 में निर्दिष्ट निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त उसी अनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट डिस्ट्रिक्टों/सर्किलों के आयकर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या आय या आय के वर्गों का मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त के सभी कार्य निष्पादित करेंगे :—

अनुसूची

रेंज	आयकर डिस्ट्रिक/सर्किल
(1)	(2)
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज 1-ए०, नई दिल्ली	1. कम्पनी सर्किल 3, 12, 13, 16 तथा 23 नई दिल्ली । 2. चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स सर्किल, नई दिल्ली ।
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज-1-डी, नई दिल्ली	1. कम्पनी सर्किल 2, 7, 10, 14, 15 तथा 19, नई दिल्ली । 2. स्पशल सर्किल 15, नई दिल्ली ।
निरीक्षीय सहायक आयकर आयूक्त रेंज-1-ई, नई दिल्ली :	1. कम्पनी सर्किल 20, नई दिल्ली ।

यह अधिसूचना 4-11-1978 से लागू होगी ।

क० न० बूटानी,
आयकर आयुक्त, दिल्ली-1

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 18 सितम्बर, 1978

निदेश स० अ० ई० 3/1635-2/78-79:—अतः मुझे, वी० के० सुब्रामणियन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० सर्वे नं० 1 ए० (भाग), 21 ए है तथा जो गुन्डवली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 27-3-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रागजी जमनादास दोसा, 2. परमानंद जमनादास दोसा 3. आनंदजी जमनादास दोसा, द्वारा, गोकलदास दोसा एंड कं०, पूर्व और पश्चिम इंसोरेन्स कं० बिल्डिंग, अपोलो स्ट्रीट, बम्बई-23।

(अन्तरक)

2. बम्बई पैक्सवेल प्रा० लि०, मेंटलज इंडस्ट्रीज कंपाउंड सुभाष रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), बम्बई-60.

—यथोपरि—

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन या मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग, वाड़ियों पैतृक घरों व परिसरों सहित, जो माप से 6727.1 वर्गमीटर या उसके लगभग है, और इस पर डिवीजन का सी० टी० एस० नं० 73 व 217 है, जो सर्वे नं० 1-ए (अंश) एस० नं० $\frac{21\text{-ए}}{1}$ हिस्सा नं० 3 अंश और सर्वे नं० $\frac{99\text{-डी०}}{1}$ अंश, वाली जमीनों के बड़े टुकड़ों या भागों में से है, और ये सब गुन्डवली गांव, अंधेरी (पूर्व) के हैं, जो अब वृहत बंबई में बम्बई नगर के रजिस्ट्री उप-जिले और बंबई उप-नगर जिले में है।

वी० के० सुब्रामणियन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 18-9-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

धारवाड़-580004, दिनांक 23 अक्तूबर, 1978

निदेश स० 239/78-79/अर्जन:—यत:, मुझे, डि० सि० राजागोपालन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० रिवेनु रिकार्डस न० 2544 है, जो रेया गांव तसिल और जिला साकसेट गोवा में स्थित है (और इससे उपबाद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मारगांव अंडर डाकुमेंट नं० 355 दि० 16-3-78 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त आधनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लिडियो तबिंगस्टन बेरिलो डायियादादे मेनेजर्स श्रीमति डुकसे फलीमेना डो० रोजा रयोरिंगों मेनेजस, प्रेसि मकान, तल मचला फोटेंनडास पनजि गोवा।

(अन्तरक)

2. श्री 1. मोरटो पुंडलिका नाईक, (2) राजन मोरटो नाईक, (3) साजन मोरटो नाईक, घर नं० 203 रेया गांव, मारगांव तसिल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आस्थी 'रेचो अम्बोरु' के नाम से जाना जाता है। रेया गांव के यहां है। मारगांव-पांडा के मार्ग पर है। इसका आधा भाग एकल जगा एक मकान के साथ 6614 स्कोर मीटर्स है।

डि० सि० राजगोपालन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 23-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लखनऊ, दिनांक 7 अक्तूबर, 1978

निदेश स० एम०–103/एक्वी०:—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० 171/1 है तथा जो बाजार झाऊ लाल (आर के० टन्डन रोड़) लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28–3–78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगदीश कुमार भार्गवा एडवोकेट व अन्य।

(अन्तरक)

2. श्री मोहन लाल पाहावा व (अन्य)।

(अन्तरिती)

3. अन्तरक (फार्म 367-जी० के अनुसार।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भवन एक मंजिला संख्या 171/1 बाजार झाऊ लाल (आर० के० टण्डन रोड़) लखनऊ जिसमें बना हुआ भाग 3000 वर्ग फिट है व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व फार्म 37-जी० में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 28–3–78 को दर्ज है।

अमर सिंह बिसेन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 7–10–1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, दिल्ली –1

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर, 1978

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०–III/397/मार्च-95/78–79:—अत: मुझे, जे. एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० और जिसकी सं० ई०-448 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-3-1978.

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती मोहिनी शर्मा, पत्नी श्री बिशम्बर नाथ शर्मा, निवासी सी०-4/8, माडल टाउन, दिल्ली। लेकिन अब जी०-8, पौलिस लाईन्स, किंगजवे कैम्प, दिल्ली इनके अटारनी श्री जगत इन्द्र प्रकाश के द्वारा।

(अन्तरक)

2. श्री हरजीन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मोहन सिंह निवासी 52/42, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लाट जिसका न० ई०-448 है और क्षेत्रफल 250 वर्ग गज है, निवासी कालौनी ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली के बाहपुर गांव, दिल्ली नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : मकान नं० ई०-446
पश्चिम : मकान नं० ई-450
उत्तर : रोड़
दक्षिण : सर्विस लेन

जे० एस० गिल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली।

तारीख : 23 अक्तूबर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू/1/एस० आर०– /370/ मार्च-52/78–79—अतः, मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सी०-10 है तथा जो कनाट पलैस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जोगीन्द्र सिंह सन्धू (करता तथा मैनेजर एच० यू० एफ० के), सुपुत्र श्री आर० बी० एस० बक्खा, निवासी ई-10 ए, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री ओम दत्त, सुपुत्र श्री अमर नाथ (2) श्री योग दत्त, सुपुत्र श्री अमर नाथ (3) श्री सुरीन्द्र कुमार, सुपुत्र श्री अमर नाथ, सभी निवासी आर-671, न्यू राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक दुकान जिसका नं० 8 सी-1/2 (मुन्यसिपल नं० 10-सी तथा बरसाती फ्लौर जोकि प्रेम हाउस में से है), ब्लाक नं० 'सी' कनाट पलैस, नई दिल्ली में है। इस दुकान का क्षेत्रफल 295 वर्ग गज है तथा निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : अन्य की जायदाद।
पश्चिम : रोड़।
उत्तर : अन्य की जायदाद।
दक्षिण : अन्य की जायदाद।

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, नई दिल्ली-1

तारीख : 7 नवम्बर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 1978

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-III/375/मार्च-59/78-79—अतः, मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जसकी सं० दुकान नं० सी-2 तथा सी-3 है तथा जो कनाट पलैस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जोगिन्द्र सिंह सन्धू (मैनेजर तथा कर्त्ता एच० यू० एफ० के), सुपुत्र श्री आर० बी० एस० बसखा सिंह, निवासी ई-10ए, डिफैन्स कालौनी, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मै० जगतजीत काटन टैक्सटाईल मिल्स लि०, थापर हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एम० एम० थापर तथा श्री पी० सी० विरमाणी के द्वारा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो पक्की दुकानें जोकि लगभग 1392.87 वर्ग फुट क्षेत्रफल की है और नं० सी-2 तथा सी-3 हैं (इसमें बरसाती फ्लौर जोकि प्रेम हाउस में से है), ब्लाक नं० 'सी' है, कनाट पलैस, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व	:	खुला मैदान।
पश्चिम	:	रेडियल रोड नं० 4।
उत्तर	:	दुकान नं० सी०-1।
दक्षिण	:	सीढ़ियां।

जे० एस० गिल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली-1

तारीख: 7 नवम्बर, 1978

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 1978

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-III/मार्च-17/347/78-79—अतः, मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 48/172 है तथा जो जोर बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राजीन्द्र कुमार ककरिया, सुपुत्र स्वर्गीय श्री लाभू राम ककरिया, निवासी 8, जैन मन्दिर रोड़, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मै० रैड रोज ईस्टेट्स प्रा० लि०, 12/48, मालचा मार्ग, डिपलोमैटिक एनक्लैव, नई दिल्ली। इनने मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नरीन्द्र सिंह कोहली के द्वारा।

(अन्तरिती)

3. श्री बी० डी० तयाल तथा मै० हिन्दुस्तान ईवर लि०।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक डब्ल स्टोरी मकान जोकि 375 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० 48/172 है, जोर बाग नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व	:	मकान नं० 47।
पश्चिम	:	मकान नं० 48-ए।
उत्तर	:	सर्विस लेन।
दक्षिण	:	रोड़।

जे० एस० गिल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 7 नवम्बर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 12 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 402/नवां शहर/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो राहों में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री विशवा मित्र पुत्र नन्द लाल बी०-15, मोहन मार्केट, पठानकोट।

(अन्तरक)

2. श्री विजय कुमार पुत्र सत पाल गांव राहों महल्ला सराफा राहों तहसील नवां शहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राहों गांव में 36 कनाल 17 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं० 4660 मार्च, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 12 अक्तूबर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 12 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 403/नवां शहर/78-79:—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो राहों में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री केवल कृष्ण, राज कुमार पुत्रान नन्द लाल गांव राहों तहसील नवां शहर जिला जलन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री सुरेन्द्र मोहन, बिमल कुमार पुत्रान सत पाल गांव राहों महल्ला सराफा डाकखाना राहों तहसील नवां शहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राहों गांव में 36 कनाल 17 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 4677 मार्च, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 12 अक्तूबर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई॰टी॰एन॰एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 13 अक्तूबर, 1978

निदेश सं० ए० पी० 404/अबोहर/78-79:—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मोहन सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र हरनाम सिंह गली नं० 21 गऊशाला रोड, अबोहर तहसील फाजिल्का। (अन्तरक)

2. श्री देस राज पुत्र जेठा राम पुत्र खुशीआ राम वासी गली नं० 4 नई आबादी अबोहर तहसील फाजिल्का। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गौशाला रोड पर गली नं० 21 में मकान नं० 2330 जैसा कि विलेख नं० 2059 मार्च, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 13-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 13 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 405/कपूरथला/78-79:—यत: मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है); की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो हमीरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि॰ नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चनन सिंह पुत्र रुड़ सिंह और ज्ञान सिंह पुत्र चनन सिंह वासी बस्ती इबराहिम खां जिला जलन्धर।
(अन्तरक)

2. श्री अजीत सिंह पुत्र साधु सिंह वासी रेरु जिला जलन्धर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हमीरा गांव में 44 कनाल 6 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख न० 7513 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 13-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 13 अक्तूबर, 1978

निदेश स० ए० पी० 406/अबोहर/78-79:—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है जो तथा ठींगा वाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) निम्नलिखित व्यक्तियों, के अधीन अर्थात् :—

1. श्री शयोकरन पुत्र श्री भानी राम वासी ठींगा वाली तहसील फाजिलका।

(अन्तरक)

2. श्री मोहर चन्द पुत्र बस्ता राम वासी ठींगा वाली तहसील फाजिलका।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ठींगा वाली गांव में 80 कनाल कृषि भूमि जैसाकि विलेख नं० 3077 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 13-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 13 अक्तूबर, 1978

निदेश स० ए० पी० 407/मोगा/78–79:—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोकरी-कलां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री मलकीयत सिंह पुत्र पाला सिंह वासी नत्थु वाला जदीद तहसील मोगा।

(अन्तरक)

2. श्री मुखत्यार सिंह पुत्र कर्म सिंह और सुन्दर सिंह व चमकौर सिंह सुन्दर सिंह पुत्रान मुखत्यार सिंह वासी पुराने वाला तहसील मोगा।

3. जैसा कि न० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोकरी कलां गांव में 51 कनाल कृषि भूमि जैसा कि विलेख न० 7678 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 13-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 13 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 408/मुक्तसर/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269—ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बरीवाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में तथा और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मार्च, 1978।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगन नाथ पुत्र नन्द राम पुत्र शिव लाल वासी बरीवाला तहसील मुक्तसर।

(अन्तरक)

2. श्री बसंत सिंह, अजमेर सिंह, गुरबचन सिंह और केसर सिंह पुत्रान राज सिंह द्वारा राज सिंह बसंत सिंह कपड़ा विक्रेता बरीवाला तहसील मुक्तसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में यथा परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बरीवाला में दुकान नं० 406 जैसा कि विलेख नं० 2550 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्सर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 13 अक्तूबर, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 13 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 409/दसुआ/78-79:—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उरमर में स्थित है (और इससे उपाद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप म वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दसुआ (दसुआ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगीर सिंह पुत्र बसाखा सिंह गांव फौजी कालोनी उरमर तहसील दसुआ।

(अन्तरक)

2. श्री बलराज सिंह, हरपाल सिंह, पुत्रान दर्शन सिंह गांव फौजी कलौनी उरमर तहसील दसुआ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग म सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

उरमर गांव में 41 कनाल 10 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं० 4269 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दसुआ में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 13 अक्तूबर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 13 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 410/अबोहर/78-79—यत: मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978

को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र नौरंग सिंह (2) सवर्ण कौर विधवा राम सिंह पुत्र नौरंग सिंह वासी ठानी चराग (अबोहर)।

(अन्तरक)

2. (1) श्री प्यारा सिंह, (2) कुन्दन सिंह (3) दारा सिंह पुत्रान लाभ सिंह पुत्र मुख्या सिंह वासी जग्गु बस्ती अबोहर तहसील फाजिल्का।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अबोहर में 64 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 2877 मार्च, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 13 अक्तूबर, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 20 अक्तूबर, 1978

निदेश सं० ए० पी० 411/गढ़ शंकर/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो दाता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गढ़शंकर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महिन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह पुत्र अमर चन्द गांव चक मुसा तहसील गढ़ शंकर।

(अन्तरक)

2. श्री जसविन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह गांव दाता, सरवन सिंह पुत्र रतन सिंह गांव महसोपुर जिला जलन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दाता गांव में 24 कनाल 17 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं० 3794 मार्च, 1978 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी गढ़शंकर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 20 अक्तूबर, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 20 अक्तूबर, 1978

निदेश सं॰ ए॰ पी॰ 412/नकोदर/78-79—अतः मुझे, पी॰ एन॰ मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उग्गी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बलबीर सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गहना सिंह गांव उग्गी तहसील नकोदर।

(अन्तरक)

2. श्री मलकीत सिंह पुत्र नरैन सिंह पुत्र सुन्दर सिंह वासी रहीम पुर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि न॰ 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

उग्गी गांव में 28 कनाल 12 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं॰ 2929 मार्च, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है।

पी॰ एन॰ मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 20 अक्तूबर, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 20 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 413/फूल/78-79—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो रामपुरा फुल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फूल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मुरली धर पुत्र कांशी राम वासी रामपुरा फुल । (अन्तरक)

2. पंजाब किसान आड़त सैंटर, रामपुरा फुल । (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है । (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

रामपुरा फुल में 425 गज का एक प्लाट जैसा कि विलेख नं० 3592 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फुल में लिखा है ।

पी० एन० मलिक,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख 20 अक्तूबर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 20 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 414/एस० पी० एल०/78-79—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कर्मजीत पुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतान पुर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. सर्वश्री सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह, सपुत्र तेहल सिंह सपुत्र श्री राजिन्द्र सिंह वासी करमजीत पुर तहसील : सुलतान पुर लोधी (कपूरथला)।

(अन्तरक)

2. सर्वश्री रणबीर सिंह, नसीब सिंह, लखविन्द्र सिंह सपुत्र श्री मनशा सिंह वासी कमराए तहसील : भुलथ (कपूरथला)।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कर्मजीत गांव में 76 कनाल 15½ मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं० 2020 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुलतान पुर लोधी में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 20 अक्तूबर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 20 अक्तूबर 1978

निदेश सं॰ ए॰ पी॰ 415/एम॰ एन॰ एस॰/78-79:—यतः, मुझे, पी॰ एन॰ मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो संघा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सरदुलगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कृपाल कौर पुत्री लैहना सिंह गांव संघा। (अन्तरक)

2. श्री गज्जन सिंह पुत्र बग्गा सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, बलजिन्द्र सिंह, पतविन्द्र सिंह पुत्रान गज्जन सिंह वासी संघा। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं॰ 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

संघा गांव में 69 कनाल 9 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं॰ 1427, मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरदुलगढ़ में लिखा है।

पी॰ एन॰ मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 20 अक्तूबर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 20 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 416/कपूरथला/78-79:—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पंजाब सिंह पुत्र बसावा सिंह वासी नूर दोसां अब कपूरथला।

(अन्तरक)

2. श्री महाराज उगर सैन राईस एराड एलाईड इन्डस्ट्रीज कपूरथला।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कपूरथला में 31 कनाल 5 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं० 3307 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षक),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 20 अक्तूबर, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 20 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 417/एस० पी० एल०/78-79:—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो दीदू पुवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतानपुर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री तेजा सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र मीआं सिंह वासी गांव तलवन जिला जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री रेशम सिंह पुत्र चनन सिंह (2) शिगारा सिंह, सुरिन्द्र सिंह, पुत्रान सखन सिंह गांव दीपोवाल तहसील, सुलतानपुर लोधी।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दीपोवाल गांव में 89 कनाल 14 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं० 2023, मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुलतान पुर लोधी में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख: 20 अक्तूबर 1978
मोहर:

प्ररूप आई॰टी॰एन॰एस॰-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 20 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 418/मोगा/78-79:—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो अर्फवाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं; उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री आसो और लसो पत्नी निहाल सिंह वासी गांव मलां वाली तहसील जीरा। (अन्तरक)

2. श्री गुरबचन सिंह, दलीप सिंह और मोहिन्द्र सिंह सपुत्र श्री निहाल सिंह गांव मलांवाली तहसील, जीरा। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गांव अर्फवाला में 75 कनाल 6 मरले कृषि भूमि और 37 कनाल 1 मरले गांव मलां वाली जैसा कि विलेख नं० 6025, मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 20 अक्तूबर 1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 20 अक्तूबर 1978

निदेश सं॰ ए॰ पी॰ 419/एस॰ पी॰ एल॰/78-79—यतः मुझे, पी॰ एन॰ मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो तलवण्डी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतान पुर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री रेहमा सपुत्र श्री बीरु वासी गांव हुसैन दुलो वाल तहसील सुलतान पुर लोधी (कपूरथला)।

(अन्तरक)

2. (1) श्री दलीप सिंह (2) गुरचरण सिंह और करनैल सिंह सपुत्र श्री खुशहाल सिंह वासी गांव तलवण्डी।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं॰ 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तलवण्डी गांव में 56 कनाल कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं॰ 1893 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सुलतान पुर लोधी में लिखा है।

पी॰ एन॰ मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख: 20-10-1978
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 20 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 420/हुशियारपुर/78-79 —यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो हजाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हुशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रोशन लाल पुत्र हरी चन्द पुत्र हुकमी (2) विजय कुमार, भगवान दास पुत्रान रोशन लाल गांव हजाम जिला हुशियारपुर।

(अन्तरक)

2. श्री महिन्द्र सिंह पुत्र बंता सिंह पुत्र अतर सिंह गांव कंधाला जट्टां जिला हुशियारपुर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हजाम गांव में 48 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 4194 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हुशियारपुर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख: 20-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 30 अक्तूबर 1978

निदेश सं० ए० पी० 421/ए बी एच/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फाजिल्का में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फाजिल्का में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री नन्द लाल फाजिल्का और अन्जु रानी पत्नी कृष्ण कुमार फाजिल्का।
(अन्तरक)

2. श्रीमती दुर्गा देवी विधवा करतार सिंह, अमरजीत कौर पत्नी अवतार सिंह मकान नं० 530 गली संतोख सिंह कचहरी रोड, फाजिल्का।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कचहरी रोड़ फाजिल्का पर मकान नं० 530 गली संतोख सिंह जैसा कि विलेख नं० 3931 मार्च 1978 में लिखा है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फाजिल्का।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 30-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 3 नवम्बर 1978

निदेश सं० ए० पी० 422/एच एस आर/78-79 :—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो हुशियारपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हुशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों; अर्थात्:—

1. श्रीमती गुरबचन कौर विधवा रलीया राम पुत्र ईश्वर दास द्वारा डा० बलकार सिंह 266 हाऊसिंग कालोनी, करनाल।

(अन्तरक)

2. श्री कृष्ण गोपाल हांडा (रिटाइरड तहसीलदार) द्वारा वी० बी० हांडा एडवोकेट लाजपत राय रोड, हुशियारपुर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता कि है वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

किशन नगर हुशियार में मकान नं० 247 जैसा कि विलेख नं० 4562 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हुशियारपुर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 3-11-1978
मोहर :

प्ररूप आई टी एन एस———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 3 नवम्बर 1978

निदेश सं० ए० पी० 423/हुशियारपुर/78-79—यत: मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो हुशियारपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हुशियारपुर में में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चरणजीत सिंह पुत्र दीवान सिंह 59 माडल टाऊन, हुशियारपुर।

(अन्तरक)

2. श्री पृथ्वी नाथ प्राशर पुत्र अमर नाथ प्राशर पुत्र लक्ष्मी धन प्राशर 66 आर० माडल टाउन हुशियारपुर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

माडल टाउन हुशियारपुर में कोठी नं० 66 आर जैसा कि विलेख नं० 4387 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हुशियारपुर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 3 नवम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 3 नवम्बर 1978

निदेश सं० ए० पी० 424/अबोहर/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि० नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती मनकोरी विधवा खिआली राम (2) आशा देवी पुत्री खिआली राम (3) बृज लाल पुत्र खिआली राम वासी खुई खेड़ा तहसील फाजिल्का।

(अन्तरक)

2. श्री भगवान दास पुत्र लच्छी राम वासी गली नं० 3 मण्डी अबोहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गली नं० 1 में स्थित एक मकान नं० 905 जैसा कि विलेख नं० 2914 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 3 नवम्बर 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 3 नवम्बर 1978

निदेश सं० ए० पी० 425/बी टी आई/78–79:—यत: मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री दीवान चन्द पुत्र कांशी राम पुत्र हीरा लाल वासी, भटिंडा।

(अन्तरक)

2. श्री अमृत लाल पुत्र काहन चन्द पुत्र तिलक राम मकान नं० 628 नामदेव नगर, भटिंडा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित ह, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नामदेव नगर भटिंडा में एक मकान नं० 628 जैसा कि विलेख नं० 6564 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : : 3 नवम्बर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 4 नवम्बर 1978

निदेश सं० ए० पी० 426/अबोहर/78-79——यतः मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:——

1. श्री मोहन सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र हरनाम सिंह वासी गली नं० 21 गऊशाला रोड़ अबोहर तहसील फाजिल्का।

(अन्तरक)

2. श्री सतीश कुमार पुत्र देस राज पुत्र जेठा राम वासी गली नं० 4 नई आबादी अबोहर तहसील, फाजिल्का।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गऊशाला रोड़ पर गली नं० 21 में मकान नं० 2330 का ½ हिस्सा जैसा कि विलेख नं० 3004 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 4 नवम्बर 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 9 नवम्बर 1978

निदेश सं० ए० पी० 427/भटिंडा/78-79—यत: मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मोहन लाल पुत्र बख्शी राम पुत्र मोलु रमल वासी भटिंडा।

(अन्तरक)

2. श्री गुरचरण सिंह पुत्र ईशर सिंह वासी मकान नं० 3243 गुरु नानक सैक्टर, भटिंडा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुरु नानक सैक्टर भटिंडा में मकान नं० 3012 जैसा कि विलेख नं० 6389 मार्च, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 9 नवम्बर, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 9 नवम्बर 1978

निदेश सं० ए० पी० 428/कपूरथला/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चरण दास पुत्र शंकर दास द्वारा चरण दास मुलख राज मंडी, कपूरथला ।

(अन्तरक)

2. श्री जसविन्द्र पाल पुत्र तिलक राज द्वारा तिलक राज मदन मोहन मंडी, कपूरथला ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

रेलवे रोड़ कपूरथला पर एक मकान कम गोदाम जैसा कि विलेख नं० 3404 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है ।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 9 नवम्बर 1978 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 9 नवम्बर 1978

निदेश सं० ए० पी० 429/जी० एच० एस०/78-79—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गुरु हरसहाए में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुरु हरसहाए में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मदन लाल पुत्र संत राम द्वारा मदन लाल, शाम लाल दाना मंडी, गुरु हरसहाए।

(अन्तरक)

2. मनोहर लाल, मोहन लाल, विजै कुमार, पुत्रान लाला राम रखा मल, अमृत लाल पुत्र खरैती लाल द्वारा मनोहर लाल मोहन लाल दाना मंडी, गुरु हरसहाए।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

4 कनाल 3 मरले के एक शैलर का $\frac{1}{3}$ हिस्सा जैसा कि विलेख नं० 1866 मार्च, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरु हरसहाए में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 9 नवम्बर 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 9 नवम्बर 1978

निदेश सं० ए० पी० 430/जी एच एस/78-79:—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो गूरु हर सहाए में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गूरु हर सहाए में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मदन लाल पुत्र संत राम द्वारा मदन लाल शाम लाल मंडी गुरू हर सहाए।

(अन्तरक)

2. श्री मनोहर लाल, मोहन लाल, विजय कुमार पुत्रान लाला राम रक्खा मल और अमृत लाल पुत्र खरैती लाल द्वारा मनोहर लाल मोहन लाल दाना मंडी, गूरु हर सहाए।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

4 कनाल 3 मरले के एक शैलर का 1/3 हिस्सा जैसा कि विलेख नं० 1876 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गूरु हर सहाए में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख: 9 नवम्बर, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 9 नवम्बर, 1978

निदेश सं० ए० पी० 431/जी० एन० एस०/78-79:—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, लुधियाना आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो गुरु हरसहाए में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुरु हरसहाए में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, मार्च 1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री मदन लाल पुत्र संत राम द्वारा मदन लाल शाम लाल दाना मंडी, गुरु हरसहाए।

(अन्तरक)

2. श्री मनोहर लाल, मोहन लाल, विजय कुमार पुत्रान लाला राम रक्खा मल, अमृत लाल पुत्र खरैती लाल द्वारा मनोहर लाल मोहन दाना मंडी गुरु हरसहाए।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

4 कनाल 3 मरले के एक शैलर का 1/3 हिस्सा जैसा कि विलेख नं० 1902 मार्च, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरु हर सहाए में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 9 नवम्बर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 10 नवम्बर 1978

सं० ए० पी० 432/मलोट/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मलोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मार्च, 1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री बाल कृष्ण, शकुन्तला देवी, चन्द्रावती द्वारा हरी चन्द, पुत्र दलीप सिंह वासी हांसी (हिसार)
(अन्तरक)

(2) गुरतेज कौर विधवा रणबीर सिंह द्वारा अर्जन मोटर्स, जी० टी० रोड, मलोट
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जी० टी० रोड मलोट पर एक दुकान जैसा कि विलेख नं० 2826, मार्च, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा,

तारीख : 10-11-1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी०एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 10 नवम्बर 1978

निर्देश सं० ए० पी० 433/मुक्तसर/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो जो मुक्तसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित अर्थात :-

1. श्री गोकल चन्द, जगन नाथ, सोहन लाल, प्रकाशवती द्वारा जगन नाथ बीज व्योपारी बाघा मार्कट, मुक्तसर।

(अन्तरक)

2. श्री अमर नाथ, करनैल सिंह, जीवन सिंह, उज्जल सिंह, गणेश दास द्वारा अमर सोप फैक्टरी टिबी साहिब रोड, मुक्तसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मुक्तसर में एक दुकान का 1/8 हिस्सा जैसा कि विलेख नं० 2517, मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 10 नवम्बर, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 15 नवम्बर, 1978

निदेश सं० ए० पी० 434/फिरोजपुर/78-79:—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फिरोजपुर छावणी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) अधीन, तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गोपी राम पुत्र मगन चन्द वासी दाना मंडी, फिरोजपुर।

(अन्तरक)

2. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री बनवारी लाल वासी अनाज मंडी, फिरोजपुर छावनी।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फिरोजपुर छावनी में एक मकान का 1/2 हिस्सा जैसा कि विलेख नं० 5750 मार्च, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 15 नवम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 15 नवम्बर 1978

निदेश सं० ए० पी० 435/फिरोजपुर/78-79:—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फिरोजपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गोपी राम पुत्र मगन चन्द फिरोजपुर छावनी।
(अन्तरक)

2. श्री राज कुमार पुत्र बनवारी लाल वासी अनाज मंडी, फिरोजपुर छावनी।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फिरोजपुर छावनी में एक मकान का 1/2 हिस्सा जैसा कि विलेख नं० 5689 मार्च 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 15 नवम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9 अगस्त 1978

निदेश नं० पी० आर० 600/एसी क्यु० 23-1063/19-8/78-79—अतः मुझे, एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० रे० स० नं० 136 (पैकी) है तथा जो गांव फुलपाडा, कतारगाम, फुलपाडा, सूरत म स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-3-1978 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) म० रसीक लेण्ड डेवलपमर्स एण्ड आर्गनाईजर्स, 710, हवाडिया चकला, अम्बाजी रोड, सूरत।

(अन्तरक)

(2) विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल को० आ० सर्विस सोसायटी लि०, हवाडिया चकला, अंबाजी रोड, सूरत

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पिलिन्थ लेवल और ग्राउन्ड फ्लोर तक कुछ बांध काम सहित जमीन जो रे० स० नं० 136 (पैकी) गांव फुलपाडा, कतारग्राम, फुलपाडा रोड, सूरत में स्थित है जिसका कुल माप 6879 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के मार्च 1978 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1690 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I हैदराबाद।

दिनांक : 9 अगस्त 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 सितम्बर 1978

निदेश नं० पी० आर० 608/एसी क्यु० 23-1065/19-8/78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 4 नोंध नं० 3884 और 5220 है। तथा जो चोकी शेरी, बेगमपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री (1) रसिलाबेन, कंचन लाल विठलदास (2) जयवदन कंचनलाल (3) शिरीश कंचनलाल (4) बिपिन चन्द्र कंचनलाल (5) ज्योतिबेन कंचनलाल (6) गीताबेन कंचनलाल (7) धनसुखलाल इच्छर लाल (8) सुशीलाबेन धनसुखलाल (9) रजनीकान्त धनसुखलाल (10) चन्द्रेश धनसुख लाल, 1 से 6 का पता : हीरा मानके बिल्डिंग, दादीशेठ अगियारी बिल्डिंग, बम्बई
7 से 10 का पता : दफ्तरी रोड, खांड वाला चाल, मलाड, बम्बई

(अन्तरक)

(2) 1. उत्तमराम अम्बाराम मोदी,
2. मंजुलाबेन उत्तमराव मोदी,
3. विजयकुमार उत्तमराम महता,
4. महेन्द्र कुमार उत्तम राम मेहता,
5. विनायक उत्तमराम मेहता
जमपा बाजार, खराडीशेरी, सूरत

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो वार्ड नं० 4 नोंध नं० 3884 बेगमपुरा, चोकी शेरी, सूरत में स्थित है जिसका कुल माप 229-09-95 वर्ग मीटर है जैसा कि रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, सूरत के मार्च 1978 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1844 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

दिनांक 11 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 सितम्बर 1978

निदेश नं० पी० आर०610/सी०ए० क्यू०-23-1086/7-4/78-79—अतः मुझे, एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० घर गली नं० 1 सि० टी० सी० टी० नं० 10/3 वार्ड नं० 8 क्यू० नं० 780 है तथा जो मोटा फालिया, दस्तूर फालिया नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-3-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. सोमाभाई प्रभुभाई पटेल, विनोदकुमारकुमार सोमाभाई पटेल तथा सुरेशचन्द्र सोमाभाई पटेल के कुल मुख्तार की हैसियत में नवसारी।

(अन्तरक)

2. (1) सर्वश्री अब्दुल मोहम्मद बिस्मिला,
(2) सुलेमान मोहम्मद बिस्मिला,
(3) दाउद मोहम्मद बिस्मिला,
(4) मासूम मोहम्मद बिस्मिला,
डाबेल ऊँचा मोहला, ता. नवसारी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

पहली अनुसूची

जमीन व मकान जो सी० टी० एस० टी० नं० 10/3 स० नं० 63, वार्ड नं० 8, क्यु नं० 780 मोटा फालिया, दस्तूर वाड, नवसारी में स्थित है जिसका कुल माप 156 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के मार्च 1978 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1506 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 1 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 सितम्बर 1978

निदेश नं० ए० सी० क्यू० 23-I-1620 (7107/11-8/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जूनागढ़ वेरावल हाई वे रोड, वंथली, है तथा जो एस० टी० बस स्टैन्ड के सामने, वंथली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मानावदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 20-3-78 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मैसर्स एम० एम० एण्ड कं० वंथली, की ओर से भागीदारः— पुष्पागौरी प्रभूदास राजाणी मिल प्लाट, तथा अन्य, केशोद, जि० जूनागढ़।

(अन्तरक)

(2) (1) श्री नाधोरी अब्दुल्ला दादा,
(2) श्री नाधोरी नूरमोहम्मद दादा,
(3) श्री नाधोरी कासम दादा,
हाजी साहब के मस्जिद के सामने, वंथली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शोपस तथा गैरेज रूम्स के साथ एक खुली जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 7826.4 वर्ग गज है (6543.60 वर्ग मीटर) तथा जो एस० टी० बस स्टैण्ड के सामने, वंथली में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन 20-3-78 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 372 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 1 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

दिनांक 1 सितम्बर 1978

निदेश नं० ए० सी० क्यू० 23-I-1604(711)/1-1-/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एफ०पी०नं० 277, टी० पी० एस०-20, सर्वे नं० 73/1-2, है तथा जो कोचरब, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अमीत कुमार अम्बालाल
(2) रक्षाबेन अमीत कुमार, "सुमेर्इ" सेन्ट जेवीयरस कालेज के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद

(अन्तरक)

(2) श्री एवरबेला को० आप० हा० सो० लि० की ओर से :—
प्रमुखः श्री परमानन्द शकराभाई पटेल तथा सेक्रेटरी श्री सेवंतीलाल मफतलाल शाह, वाणीया वाड, लुहार शेरी, सरसपुर, अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 4441 वर्ग गज है तथा जिसका एफ० पी० नं०-277, सर्वे नं० 73/1-2, टी० पी० एस-20 है तथा जो कोचरब अहमदाबाद में स्थित है। तथा जिसका पूर्ण वर्णन मार्च 1978 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 19396 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

दिनांक 1 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 सितम्बर 1978

सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1621(713)/11-8/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 280/1, 280/2 है तथा जो गांव सुलतानावाड, ता० मानावदर जि० जूनागढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मानावदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-3-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) गोदावरीबेन रामलाल कोटेचा
मारफत : विपुल इन्डस्ट्रीज
गांव : सुलतानाबाद
ता० मानावदर जि० जूनागढ़

(अन्तरक)

(2) कांकरीया कोटन प्रोसेसर्स के मालिक तथा प्रेमराज कांकरीया सन्स ट्रस्ट के ट्रस्टीज
मारफत : (1) श्री विनयचन्द प्रेमराज तथा अन्य कांकरीया भवन, 6 महादेव नगर सोसायटी अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति का वह समस्त भाग जिसका नं० 280/1 तथा 280/2 और जिसका क्षेत्रफल 26204 वर्ग मीटर है जो कि गांव सुलतानाबाद ता० मानावदर, जि० जूनागढ़ में स्थित है, जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मानावदर द्वारा किए गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 347/18-3-1978 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक 4 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 सितम्बर 1978

नं० एसीक्यु० 23-I-1621 (714)/11-8/77-78—अतः मुझे, एस० सी० परीख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० मैसर्स कांकरिया कोटन प्रोसेस नाम से प्रख्यात जिनांग एन्ड प्रोसींग फैक्टरी है । तथा जो गांव सुलतानाबाद ता० मानावदर जिला जुनागढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मानावदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 19-3-1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री अशोक कुमार रामलाल कोटेचा
2. श्री गोदावरीबेन रामलाल कोटेचा,
मेसर्स विपुल इन्डस्ट्रीज के मालीक व भागीदार की हैसियत में—
गांव : सुलतानाबाद, ता० मानावदर, जि० जुनागढ़ ।
(अन्तरक)

(2) मै० कांकरीया कोटन प्रोसेसर,
मालिक : प्रेमराज कांकरीया सन्स ट्रस्ट के ट्रस्टीज (1) श्री विनयचन्द प्रेमराज तथा अन्य कांकरीया भवन, 6, महादेवनगर सोसायटी अहमदाबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मेसर्स कांकरिया कोटन प्रोसेस नामसे प्रख्यात फैक्टरी मकानें, गोडाउन्स, हाउसीस, जीन हाउसीस, इलेक्ट्रीक रूम, पंप रूम, स्टोर रूम तथा आफिस रूम वगैर जिसकी जमीन का माप 6 एकर 19 गुंठा है और जो गांव सुलतानाबाद ता० मानावदर जि० जुनागढ़ में स्थित है, जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानावदर द्वारा 19-3-1978 को किए गए रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 348/ मार्च 1978 में प्रदर्शित है ।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक 4 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 सितम्बर 1978

निदेश नं॰ पी॰ आर॰ 613/एसीक्यू॰ 23-1126/3-2/78-79——अतः मुझे एस॰ सी॰ परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिस की सं॰ सिटी स॰ नं॰ 10935 (पैकी) सिटी स॰ शीट न॰ 51 और सिटी स॰ नं॰ 10934 (पैकी) है तथा जो रेलवे गोडाउन की पश्चिमी दिशा, पालनपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पालनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मार्च 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) श्री सुप्रियभाई कांतीलाल मेहता
कुल मुखतार : कान्तीलाल छोटालाल मेहता 1-ए, गीतांजली, नवरोजी गामडिया क्रास रोड बम्बई-26 ।

(अन्तरक)

(2) पटेल कालीदास नरसिंहभाई रामपुरा (सावरपुर) ता॰ पालनपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जो सिटी स॰ नं॰ 10935 (पैकी) और सिटी स॰ शीट नं॰ 51 और सिटी स॰ नं॰ 10934 (पैकी) रेलवे गोडाउन की पश्चिमी दिशा, पालनपुर में स्थित है जिसका कुल माप 6570.5 वर्ग फुट है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पालनपुर द्वारा मार्च 1978 में दर्ज किए गए रजिस्ट्रीकृत विलेख नं॰ 535 में प्रदर्शित है ।

एस॰ सी॰ परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 12 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

दिनांक 12 सितम्बर 1978

निदेश नं० 614/एसीक्यु० 23-1127/3-2/78-79——अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सिटी नं० 10935 (पैकी) सिटी सं० शीट नं० 51 और सिटी सं० नं० 10934 (पैकी) है तथा जो रेलवे गोडाउन की पश्चिमी दिशा, पालनपुर में स्थित है, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पालनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सुप्रियभाई कांतीलाल मेहता
कुल मुखतार : कान्तीलाल छोटालाल मेहता 1-ए, गीतांजली, नवरोजी गामडिया क्रास रोड, बम्बई-26।

(अन्तरक)

(2) श्री पटेल गिरीशचन्द्र कालीदास (सगीर) वाली : पटेल कालीदास नरसिंभाई रामपुरा (सावरपुरा) ता० पालनपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो सिटी सं० नं० 10935 (पैकी) तथा सिटी सं. शीट नं० 51 और सिटी सं० नं० 10934 (पैकी) रेलवे गोडाउन की पश्चिमी दिशा, पालनपुरा में स्थित है जिसका कुल माप 6570.5 वर्ग फुट है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पालनपुर द्वारा मार्च 1978 में दर्ज किए गए रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 536 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

दिनांक 12 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

दिनांक 12 सितम्बर 1978

निदेश नं॰ पी॰ आर॰ 615/एसीक्यु॰ 23-1128/3-2/78-79—अतः मुझे एस॰ सी॰ परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिस की सं॰ सिटी सं॰ नं॰ 10935 (पैकी) सिटी सं॰ शीट नं॰ 51 तथा सिटी सं॰ नं॰ 10934 (पैकी) है। तथा जो रेलवे गोडाउन की पश्चिम दिशा पालनपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पालनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुप्रिय भाई कान्तीलाल मेहता
कुल मुखतार कान्तीलाल छोटा लाल मेहता
1-ए, गीतांजली, नवरोजी गामडिया, क्रास रोड,
बम्बई-26।

(अन्तरक)

(2) श्री पटेल लक्ष्मी चन्द नरसिंहभाई रामपुरा (सादरपुर) ता॰ पालनपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो सिटी सं॰ नं॰ 10935 (पैकी) तथा सिटी सं॰ शीट॰ नं॰ 51 और सिटी नं॰ 10934 (पैकी) रेलवे गोडाउन की पश्चिमी दिशा पालनपुर में स्थित है जिसका कुल माप 6570.5 वर्ग फुट है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पालनपुर द्वारा मार्च 1978 में किए गए रजिस्ट्रीकृत विलेख नं॰ 537 में प्रदर्शित है।

एस॰ सी॰ परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज- अहमदाबाद

दिनांक 12 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 सितम्बर 1978

निदेश नं० पी० आर० 616/एसीक्यु-23-1129/3-2/78-79—अत: मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सिटी स० नं० 10935 (पैकी) सिटी स० शीट नं० 51 तथा सिटी सं० नं० 10934 (पैकी) है। तथा जो रेलवे गोडाउन की पश्चिमी दिशा, पालनपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पालनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सुप्रियभाई कान्तीलाल मेहता
कुल मुखतार: कान्तीलाल छोटालाल मेहता 1-ए, गीतांजली नवरोजी गामडिया क्रास रोड, बम्बई-26।

(अन्तरक)

(2) श्री पटेल हरशद कुमार लक्ष्मी चन्द भाई ( )
वाली: लक्ष्मी चन्द नरसिंहभाई, रामपुरा (सादरपुरा) ता० पालनपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो सिटी स० नं० 10935 (पैकी) और सिटी स० शीट नं० 51 और सिटी स. नं० 10934 (पैकी) कुल माप 6570.5 वर्ग फुट है तथा जो रेलवे गोडाउन की पश्चिम दिशा में पालनपुर में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पालनपुर द्वारा मार्च 1978 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 538 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख: 12-9-1978।
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

दिनांक 12 सितम्बर 1978

निदेश नं० पी० आर० 617/एसीक्यू-23-1130/3-2/78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सिटी स० नं० 10935 (पैकी) सिटी स० नं० 51 सिटी स० नं० 10934 (पकी) है। तथा जो रेलवे गोडाउन के पश्चिम दिशा में, पालनपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पालनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः; अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुप्रियभाई कान्तीलाल मेहता कुल मुखताई : कान्तीलाल छोटा लाल मेहता 1-ए, गीतांजली, नथरोजी गामडिया क्रास रोड, बम्बई- 26

(अन्तरक)

(2) पटेल अमृतलाल नरसिंहभाई रामपुरा (सादरपुर), ता० पालनपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो सिटी स० नं० 10935 (पैकी) तथा सिटी स० शीट नं० 51, और सिटी स० नं० 10934 (पैकी) रेलवे गोडाउन की पश्चिम दिशा, पालनपुर, में स्थित है जिसका कुल माप 6570.5 वर्ग फुट है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पालनपुर द्वारा मार्च 1978 में किए गए रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 539 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख : 12-9-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 सितम्बर 1978

निदेश नं० पी० आर० 618/एसीक्यू० 23-1130/3-2/78-79——अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सिटी सर्वे नं० 10935 (पैकी) सिटी सं० शीट नं० 51 तथा सिटी सं० नं० 10934 (पैकी) है तथा जो रेलवे गोडाउन के पश्चिम दिशा, पालनपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पालनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन, दिनांक मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुप्रियभाई कान्तीलाल मेहता, कुल मुखतार : कान्तीलाल छोटालाल मेहता 1-ए, गीतांजली, नवरोजी गामडिया क्रास रोड, बम्बई-26।

(अन्तरक)

(2) श्री पटेल ईश्वरलाल अमृतलाल (सगीर) वाली : अमृतलाल नरशी भाई, रामपुरा (सादरपुर) ता० पालनपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो सिटी सर्वे नं० 10935 (पैकी) तथा सिटी० सं० शीट नं० 51, तथा सिटी सं० नं० 10934 (पैकी) रेलवे गोडाउन की पश्चिमी तरफ, पालनपुर में स्थित है जिसका कुल माप 6570.5 वर्ग फुट है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पालनपुर द्वारा मार्च 1978 में किए गए रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 540 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 12 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 सितम्बर 1978

निदेश नं० एसीक्यू० 23-I/1615 (717)/I-I/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० 326 (पार्ट) टी० पी० एस० 30 है तथा जो नवा असारवा, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 29-3-78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कनैयालाल डाह्याभाई पटेल, एच० यू० एफ० के कर्ता की हैसियत से 838, पीपलावाली बास, पुराना असारवा अहमदाबाद-16।

(अन्तरक)

(2) सेक्रेटरी श्री भगवत कुमार आई० पटेल के मारफत पर्णकुंज को० ओ० रा० सो० लि० उमीयामाता के मंदिर के पास, नवा असारवा अहमदाबाद-16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन का प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 1162 वर्ग गज है तथा जिसका नं० 326 है, और जो असारवा अहमदाबाद में स्थित है, जिसका पूर्ण विवरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अहमदाबाद के सामने किए गए 29-3-1978 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 3361 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 14 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 सितम्बर 1978

निदेश नं० एसीक्यू० 23-I-1615 (718)/1-1/77-78—अत: मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० 326 (पार्ट) टी० पी० एस-30 है तथा जो नवा असाखा, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मार्च 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है;

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती कशमाबेन कनैयालाल पटेल 838, पीपलावाला वास पुराना असाखा अहमदाबाद-16। (अन्तरक)

(2) सेक्रेटरी श्री भगवतकुमार आई० पटेल के द्वारा, पर्णकुंज को० ओ० रा० सो० लि० उमीया माता के मंदिर के पास नया असाखा अहमदाबाद-16। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका क्षेत्रफल 2323.2 वर्ग गज है तथा जिसका नं० 326 है और जो असाखा, अहमदाबाद में स्थित है, जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अहमदाबाद के सामने किए गए बिक्री दस्तावेज नं० 3411/78 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 14 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप ग्राई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 अक्तूबर 978

निदेश नं० एसीक्यू० 23-1615 (719)/1-1/77-78-I —अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० 247 टी० पी० एस०-30 है तथा जो असारवा, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती डारीबेन डाह्याभाई पटेल 838, पीपला वाली वास पुराना असारवा अहमदाबाद-16।

(अन्तरक)

(2) श्री भगवतकुमार आई० पटेल के मारफत पर्णकुंज को० ओ० रा० सी० लि० उमीया माता के मंदिर के पास, नया असारवा अहमदाबाद-16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1331 वर्ग गज है और जिसका नं० 247 है तथा जो असारवा अहमदाबाद में स्थित है, जिसका पूर्ण विवरण, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अहमदाबाद के सामने किए गए बिक्री दस्तावेज नं० 3412/78 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक: 14 सितम्बर 1978
मोहर :

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 अक्तूबर 1978

निदेश नं० एसीक्यु० 23-I-1599 (727)/1-1/77-78—अतः मुझे, एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० स० नं० 440-2 है। तथा जो वेजलपुरा, जिला अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-3-1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित न किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री धनजी कानजी ठाकोर श्री मकाजी कानजी ठाकोर वेजलपुर, तालुका सीटी जि० अहमदाबाद (अन्तरक)

(2) श्री जगजीवनराम पार्क को० ओ० हा० सो० लि० मारफत —— भीखाभाई वाशरामभाई मकवाणा महेन्द्रपुरा, आंबावाडी अहमदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 6655 वर्ग गज है और जिसका नं० 440-2 है और जो वेजलपुर ता० सिटी, जिला अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अहमदाबाद में रजिस्टर्ड किए गए ता० 9-3-1978 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 2167 तथा 2168 में दिया गया है।

एस० सी० परीख)
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 4 अक्तूबर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 अक्तूबर 1978

निदेश नं० एसीक्यु० 23-I/1616 (728)/1-1/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० सर्वे नं० 295 है तथा जो घोडासर, सीटी तालुका, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-3-78
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) (1) श्री नटवरलाल गोरधनदास मोदी,
(2) ताराबेन नटवरलाल मोदी,
(3) श्री सुरेन्द्र नटवरलाल मोदी,
(4) श्री नीलेश नटवरलाल मोदी
ढालकी पोल, रसीक चाल आस्टोडीया, अहमदाबाद
(अन्तरक)

(2) शिवशक्ति को० ओ० हा० सो० लि०,
चेयरमैन श्री अमृतभाई रणछोड़भाई पटेल अलीधान सोसायटी, मणीनगर, अहमदाबाद
(2) सेक्रेटरी श्री शंकरभाई धुला भाई पटेल भैरवनाथ रोड, मणीनगर, अहमदाबाद-8,
(3) मेनेजिंग कमेटी मेम्बर—श्री नारणभाई गंगाराम पटेल, 10, प्रीतीकुंज सोसायटी, मणीनगर, अहमदाबाद के मारफत
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 3388, वर्ग गज है और जिसका नं० 295 है और जो घोडासर के पश्चिम में तालुका सीटी, अहमदाबाद में स्थित है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन ता० 31-3-1978 को किये गये बिक्री दस्तावेज नं० 3459 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 4 अक्तूबर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 अक्तूबर 1978

निदेश नं० एसीक्यु० 23-I-1642 (7307/16-6/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिस की सं० 380/2 के प्लाट नं० 65 से 71 है तथा जो पी० डी० मालवीया कोमर्स कालेज के पीछे गोंडल रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 78 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य; उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कान्तीलाल केशवजी कारीआ 4, रामकृष्ण नगर राजकोट

(अन्तरक)

(2) श्री दिलीप जेठालाल ठक्कर गीरीपेठ, नागपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका क्षेत्रफल वर्ग गज 3771.30 फीट है तथा जिसका सर्वे नं० 380/2 प्लाट नं० 65 से 71 है जो पी० डी० मालवीया कोमर्स कालेज के पीछे गोंडल रोड, राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट के द्वारा रजिस्टर्ड किये गये ता० 31-3-1978 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 2541 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 4 अक्तूबर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 अक्तूबर 1978

निदेश नं० एसीक्यु० 23-I/1641 (731)/16-6/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 398/2 प्लाट नं० 42, 53, 44, 51 तथा 72 से 75 है तथा जो पी० डी० मालवीया कोमर्स कालेज के पीछे, गोंडल रोडम्र राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 78 को
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनिमय, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनिमय, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) निनिम्नलिखत व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री कान्तीलाल केशवजी कारीआ 4, रामकृष्ण नगर राजकोट (अन्तरक)

(2) श्री हरीश जेठालाल ठक्कर गीरीपेठ, नागपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका क्षेत्रफल वर्ग गज 5762.4 फीट है तथा सर्वे नं० 398/2 के प्लाट नं० 42, 43, 44, 51 तथा 72 से 75 है, जो पी० डी० मालवीया कोमर्स कालेज के पीछे गोंडल रोड राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा रजिस्ट्री किये गये बिक्री दस्तावेज नं० 2542 ता० 31-3-1978 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 4 अक्तूबर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 अक्तूबर 1978

निदेश नं० एसीक्यु० 23-I-1639 (733)/16-6/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० नं० 398/2 प्लाट नं० 76 से 81 है तथा जो पी० डी० मालवीया कोमर्स कालेज के पीछे, गोंडल रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कान्तीलाल केशवजी कारीआ, 4, रामकृष्ण नगर राजकोट ।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रवीण जेठालाल ठक्कर गीरीपेठ, नागपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल वर्ग गज 4812.7 फीट जिसका सर्वे नं० 398/2 प्लाट नं० 76 से 81 है और जो पी० डी० मालवीया कोमर्स कालेज के पीछे गोंडल रोड, राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट के द्वारा रजिस्टर्ड किये गये ता० 31-3-78 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 2544 में दिया गया है ।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 4 अक्तूबर 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 अक्तूबर 1978

नं० एसीक्यू० 23-I-1640(732)/16-6/77-78—अतः मुझे, एस० सी० परीख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 398/2 प्लाट नं० 29 38 है तथा जो पी० डी० मालवीया कोलेज के पीछे, गोंडल रोड, राजकोट में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 1978
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कान्तीलाल केशवाजी कारीआ 4, रामकृष्ण नगर, राजकोट । (अन्तरक)

2. श्री महेन्द्र भवानजी ठक्कर, गीरीपठ, नागपुर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल वर्ग गज 4855.2 फीट है तथा सर्वे नं० 398/2 के प्लाट नं० 29 से 38 है, जो पी० डी० मालवीया कोमर्स कालेज के पीछे गोंडल रोड राजकोट में स्थित है । जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा रजिस्टर्ड किये गये ता० 31-3-1978 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 2543 में दिया गया है ।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 4-10-78
मोहर:

प्ररूप भ्राई० टी० एन० एस०———

भ्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के भ्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज-I, भ्रहमदाबाद

भ्रहमदाबाद, दिनांक 12 भ्रक्तूबर 1978

निदेश नं० पीभ्रार 624/एसीक्यू 23-1064/19-8/78-79—भ्रतः मुझे एस० सी० परीख

भ्रायकर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त भ्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के भ्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से भ्रधिक है

भ्रौर जिसकी सं० वार्ड नं० 12 नोंध नं० 576 है। तथा जो रानी तलाव, युनियन हाई स्कूल के सामने, सूरत में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए भ्रन्तरित की गई है भ्रौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से भ्रधिक है भ्रौर भ्रन्तरक (भ्रन्तरकों) भ्रौर भ्रन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भ्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) भ्रन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उक्त भ्रधिनियम के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भ्रौर/या

(ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या भ्रन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्राय-कर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या धन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः भ्रब, उक्त भ्रधिनियम, की धारा 269-ग के भ्रनुसरण में, मैं, उक्त भ्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के भ्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, भ्रर्थात् :—

1. श्री (1) विमलाबेन नानुभाई देसाई (2) मुकुल नानुभाई देसाई, दीवाली बाग, भ्रठवा लाइन्स, सूरत (भ्रन्तरक)
2. श्री फातिमा इस्माईल छीवाला, कुल मुख्तार, युनुस भ्रहमद छीवाला रामपुरा, छाडा भ्रोल सूरत (भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के भ्रर्जन के संबंध में कोई भी भ्राक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भ्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रवधि, जो भी भ्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा भ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों भ्रौर पदों का, जो उक्त भ्रधिनियम, के भ्रध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही भ्रर्थ होगा जो उस भ्रध्याय में दिया गया है।

भ्रनुसूची

जमीन भ्रौर मकान जो वार्ड नं० 12 नोंध नं० 576 रानी तलाव, युनियन हाई स्कूल के सामने, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी सूरत द्वारा मार्च 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1756 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण)
भ्रर्जन रेंज-II, भ्रहमदाबाद

तारीख: 12-10-1978
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 अक्तूबर 1978

निदेश नं० पी आर 625/एसीक्यू-23-1137/7-4/78-79— अतः मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० वार्ड नं० 2 हा० नं० 289 सिटी स० नं० 289 सी० आई० एस० टीका नं० 6/1 स० नं० 50 है। तथा जो मालेसर, वाडी स्ट्रीट, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा, (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. होमी फिरोजशाह ब्यारिया हारबर हाईट्स, एन० ए० सावंत मार्ग, कोलाबा, बम्बई-5। (अन्तरक)
2. (1) श्री रनजीतराय गोविंदजी दर्जी, (2) ताराबेन रंजीतराय दर्जी, गांव, सालेज तह० गणदेवी, जिला बलसाड, हाल हा० नं० 289, मालेसर वाडी स्ट्रीट, नवसारी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो हा० नं० 289 सी० एस० टी० टीका नं० 6/1 स० नं० 50 मालेसर, वाडी स्ट्रीट, नवसारी में स्थित है जिसका कुल माप 210 वर्ग गज है, जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी द्वारा मार्च 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1112 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II अहमदाबाद

तारीख: 12-10-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 अक्तूबर 1978

निदेश नं० पीआर626/एसीक्यू/23-1138/19-7/78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है जिसकी सं० वार्ड नं० 6 नोंध नं० 1276 और 1277 है। तथा जो महीदरपुरा, भाट शेरी, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च, 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) चम्पकलाल नगीनदास, (2) हसमुख लाल नगीनदास, (3) जशवंत लाल नगीनदास, (4) सानाबेन नगीनदास महीधरपुरा, भूत शेरी सूरत (अन्तरक)

2. श्री पुष्पाबेन वसंतलाल महीधरपुरा, भूतशेरी, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो वार्ड नं० 6 नोंध नं० 1276 और 1277 महीधरपुरा, भूत शेरी, सूरत में स्थित है जिसका कुल माप 88+71-158 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा मार्च 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1677 और 1722 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 12-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 अक्तूबर, 1978

निदेश नं० पी आर627/एसीक्यू 23-1139/19-7/78-79—अत: मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 10/1095-ए और 1095/बी है। तथा जो लीमडी कुई, गोपीपुरा, सूरत में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्री बाबूभाई चिमनलाल जाबेरी, स्वयं तथा एच० यू० एफ० के मेनेजर अमलीरन मकूभाई मुनसफ शेरी, सूरत (अन्तरक)

2. (1) श्री भुवन चन्द्र दुलाल चन्द्र मंडल, (2) मोहन चन्द्र दुलाल चन्द्र मंडल (3) कमल चन्द्र दुलाल चन्द्र मंडल, अमलीरन, मकूभाई मुनसफ शेरी, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो वार्ड नं० 10 नोंध नं० 1095-ए और 1095-बी लीमडी कुई, गोपीपुरा, सूरत में स्थित है जिसका कुल माप 149 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सूरत द्वारा मार्च 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1776 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख : 12-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 12 अक्तूबर 1978

निदेश नं० पीआर 628/एसीक्यू 23-1140/7-4/78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० एस० नं० 640 पैकी है। तथा जो संघ कुवा, नवसारी, जिला बलसाड में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-3-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. (1) रमजलाल खंडभाई काशी, (2) विजय कुमार रनमणलाल वाशी, (3) किरीट कुमार रमणलाल वाशी, तीनों के कुल मुख्तार : नटवरलाल खंडभाई जूना थाना, नवसारी (अन्तरक)
2. श्री करसनीभाई नागजीभाई पटेल सरदार पटेल सोसायटी, नवसारी, जिला वलसाड (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खली जमीन जो स० नं० 640 पैकी संघकुवा, नवसारी में स्थित है जिसका कुल माप 5522 वर्ग फुट है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी द्वारा मार्च 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1625 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 12-10-1978
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 10 अक्तूबर 1978

न० एसीक्यू 23-3-1694(734)/16-5/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 1298, है। तथा जो लाटी स्ट्रीट नं० 6 मोरबी में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मोरबी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-3-78

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. इब्रासीम बच्च 4 खाली शेरी, मोरबी (अन्तरक)

2. (1) रमणीकलाल छगनलाल पटेल खापार रोड, मोरबी (2) मनसुखलाल गोविंदजी धेरिया, महावीर सोसायटी, मोरबी, (3) अभियकांत अमृतलाल मेहता, 10 शबती प्लाट, मोरबी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो स० नं० 1298 गांव बजेपुर, लाटी स्ट्रीट नं० 6 के साथ, मोरबी में स्थित है जिसका कुल माप 3 एकड़ 36 गुंथा है (18876 वर्ग गज) है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोरबी द्वारा 14-3-1978 को किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 286 में प्रदर्शित है।

एम० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I अहमदाबाद

तारीख: 10-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 10 अक्तूबर 1978

सं० एसीक्यू 23-I-1722(735)/16-6/77-78—अतः मुझे, एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 33-बी 'डोली' नामक मकान है तथा जो हरीहर को० आ० हा० सोसायटी लिमिटेड कलावाड रोड के दक्षिण में, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-3-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, म, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री विपिन विशनु प्रसाद अंजारिया 33-बी, हरीहर को० आप० हाउसिंग सोसायटी लि०, कलावाड रोड के दक्षिण में, राजकोट (अन्तरक)

2. श्री भासकर राव कल्याणराव रिंकानी 'सौरभ'' सरोजनी रोड, सांता क्रूज, बम्बई। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

'डोली' नामक मकान जो प्लाट नं० 33-बी हरिहर को० आ० साउसिंग सोसायटी लिमिटेड, कलावाड रोड की दक्षिण में राजकोट में स्थित है जिस का कुल क्षेत्रफल 306–2–0 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा 31-3-1978 को दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 215 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I अहमदाबाद

तारीख: 10-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 10 अक्तूबर 1978

सं० एसीक्यू 23-I-1724(736)/16-6/77-78—अत: मुझे, एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एस० नं० 451, प्लाट नं० 101 है। तथा जो मेन रोड, रेस कोर्स अमृपाली टाकीज तक राजकोट म स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम' 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत, से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कुसुमबेन जमनादास मेहता, जगनाथ प्लाट नं० 16, राजकोट। (अन्तरक)

2. श्री छोटालाल दुरलभजी तथा श्रीमति जसवंत छोटालाल, जगनाथ, प्लाट, 21/29, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो स० नं० 451 प्लाट नं० 101, अमृपाली टाकीज के सामने, राजकोट में स्थित है जिसका कुल माप 251-4-0 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा 2-3-1978 को दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 760 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदनबाद

तारीख: 10-10-1978
मोहर:

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 10 अक्तूबर 1978

सं० एसीक्यू० 23-I-1795(737)/16-1/77-78—अतः मुझे, एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० टीका नं० 8 पैकी नं० 526 नं० 2, लेख नं० 2780 ता० 19-6-23 शीट नं० 57, नं० 495 है। तथा जो जिन मिल प्लाट लिबर्टी सिनेमा के सामने, धोराजी, जि० राजकोट में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धोराजी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रमणीकलाल भगवानजी पटेल तथा अन्य, प्रो० धोराजी जिन मिल कम्पनी, लिबर्टी सिनेमा के सामने, धोराजी, जिला राजकोट। (अन्तरक)

2. डा० मिस हेमांगिनी चंपकलाल त्रिवेदी तथा अन्य, प्रो० डा० त्रिवेदी मेटर्निटी एण्ड नरसिंग होम, जिन मिल प्लाट के पास, लिबर्टी सिनेमा के सामने, धोराजी, जिला राजकोट।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इमारत जो डा० त्रिवेदी मेटर्निटी एण्ड नर्सिंग होम, धोरजी नाम से प्रख्यात है जो टीका नं० 8 पैकी नं० 526 नं० 2 लेख नं० 2780 ता० 19-6-23 (शीट नं० 57 नं० 495) धोराजी में स्थित है जिसका कुल माप 630 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी धोराजी द्वारा 6-3-1978 को दर्ज किए गए रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 326 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख 10-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 21 अक्तूबर, 1978

नं० एसीक्यू 23-I-1721 (740)/16-6/77-78—अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० और जिसकी सं० रहायशी मकान, 395-6-84 वर्ग गज जमीन पर स्थापित है तथा जो लालजी पारेख स्ट्रीट, खत्रीवाड, राजकोट में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-3-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कनैयालाल दलपतराम भरेता स्वयं तथा श्रीमति नर्मदाबेन दासपतराम भरेता और अन्य के पावर आफ अटार्नी की हैसियत से— शक्तीनगर सोसायटी मुख्य मार्ग, राजकोट (अन्तरक)

2. श्री परजीया सोनी जसुभाई राठोर भाई ट्रस्ट के श्री जिवणलाल लालजी रागपुरा तथा अन्य, खत्रीवाड, लधुम्मा अतारा स्ट्रीट, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खत्रीवाड, लालजी पारेख स्ट्रीट राजकोट में, 395-6-84 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली जमीन पर स्थापित रहायशी मकान, जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा रजिस्ट्री किये गये बिक्री दस्तावेज नं० 893 ता० 14-3-1978 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

तारीख: 21-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 21 अक्तूबर 1978

नं० एसीक्यू 23-I-1730(741)/18-1/77-78—अत: मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० नं० 2 पैकी 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 34, 35, 36, 37, तथा 38, सर्वे नं० 884 में है तथा जो धांगध्रा मोरवी रोड की बोरीनी ओर, पुल के पास, धांगध्रा में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धांगध्रा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-3-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. (1) श्री शार चंदुलाल कमलचंद तथा (2) श्री शार वलीचंद मगनलाल, ग्रीन चौक धांगध्रा, जिला सुरेन्द्रनगर (अन्तरक)
2. श्री जडेश्वर को० ओ० रा० सो० लिमिटेड, धांगध्रा, प्रेसीडेन्ट श्री बी० एन० कबानी केयर आफ असिस्टेंन्ट कलेक्टर आफिस मनमेरलुन, धांगध्रा जिला सुरेन्द्रनगर के मार्फत । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध म कोई ी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट नंबर 2 पैकी 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 34, 35, 36, 37 तथा 38 सर्वे नं० 884 में जो धांगध्रा मोरवी रोड के बोरीनी ओर बाहिनी ओर पुल के पास, क्रासिंग, धांगध्रा में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी धांगध्रा द्वारा रजिस्ट्री किये बिक्री दस्तावेज नं० 299 ता० 23-3-1978 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

तारीख 21-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 अक्तूबर, 1978

निदेश सं० पीआर 629/एसीक्यू-23-1087/7-4/78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० टीका नं० 9/1 सर्वे नं० 48 पैकी है। तथा जो मालेकवाड, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 2-3-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) बाई० खेरुनीसा नसीरुद्दीन (2) नाहेरुनीसा फरीदीन (3) जमीलुनीसा राजीयुदीन (4) नजमूनीसा अमीरुद्दीन मालेकवाड, नवसारी (अन्तरक)

2. श्री छोटुभाई नारनजी पटेल एण्ड कम्पनी, भागीदार : छोटुभाई नारनजी भाई पटेल, 11/132, नानावत सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो टीका नं० 9/1 स० नं० 48 पैकी, मालेकवाड नवसारी में स्थित है जिसका कुल माप 20473 वर्ग फुट है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी द्वारा मार्च, 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1102 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 23-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)

की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 अक्तूबर 1978

निदेश नं० पीआर 630/एसीक्यू 23-1108/19-8/78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 5 नोंध नं० 933 है तथा जो जाडा खाडी, महीदरपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 20-4-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमद सुरेश्वर भगवान, श्रीमद नृसिंहाचार्य, नृसिंह आश्रम भूतडी झांपा बडौदा। (अन्तरक)

2. श्री सूरती कंसारा पंच शुभेच्छक मंडल ट्रस्टी : 1. जगजीवनदास छबिलदास 2. बाबूभाई फकीरचन्द, 3. त्रिभोवनदास दामोदर दास 4. जेठालाल मोतीराम, 5. चिमनलाल ललुभाई' 5/962, जाडा खाडी, महीदरपुरा सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो वार्ड नं० 5 नोंध नं० 933 जाडा खाडी, महीदरपुरा सूरत में स्थित है जिसका कुल माप 228 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सूरत द्वारा एप्रिल 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2331 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 23-10-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 24 अक्तूबर 1978

निदेश नं० पी०आर० 631/एसीक्यू 23-1141/6-1/78-79—अत: मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 532 (पैकी) प्लाट नं० 24, 25, 28, 29, 32, 33 है तथा जो सयाजी गंज, रेस कोर्स रोड, विश्वास कालोनी बडोदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बडोदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मार्च 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. के० ए० एम० पटेल, एण्ड कं० 205, यशकमल बिल्डिंग स्टेशन रोड, बडौदा । (अन्तरक)

2. (1) श्री सर्यू सुभाशचन्द्र पटेल, 1-ए, अल्कापुरी शापिंग सेन्टर, रेस कोर्स रोड, बड़ोदा

(2) सुलोचना दीनूभाई देसाई 2-ए, स्टेरलिंग एपार्टमेन्ट्सरेस कोर्स रोड, बडौदा-5 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लट नं० 1-ए जो स० नं० 532 (पैकी) प्लाट नं० 24, 25, 28, 29, 32, 33, अल्कापुरी शापिंग सन्टर, विश्वास कालोनी रेस कोर्स रोड, बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा द्वारा मार्च, 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 679 में प्रदर्शित है ।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 24-10-1978

मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 17th October 1978

No. A.35017/1/75-Admn.II.—In continuation of Union Public Service Commission Notification of even number dated 9th November, 1977, Shri H. R. Singh, Accounts Officer of the office of AGCR, is appointed to officiate, on deputation basis, as Accounts Officer a gazetted class II post, General Central Service, in the office of the Union Public Service Commission for a further period of one year with effect from 9-9-78 or until further orders, whichever is earlier.

S. BALACHANDRAN
Under Secy.
for Secy.
Union Public Service Commission

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 4th November 1978

No. 87 RCT 28.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri H. S. Rathour, a permanent Assistant of the Central Vigilance Commission, as Section Officer in this Commission in an officiating capacity with effect from 26-10-78 to 18-11-78 or until further orders, whichever is earlier.

SHRI NIVAS, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPTT. OF PERSONNEL & A.P.)
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 19th November 1978

No. A-19036/19/76-AD.V.—Consequent on his repatriation to the Rajasthan State Police, Shri N. K. Tripathi Dy. Supdt. of Police/Central Bureau of Investigation, and an Officer of the Rajasthan State Police relinquished charge of the Office of Dy. Supdt. of Police in Central Bureau of Investigation with effect from afternoon of 28-10-1978.

JARNAIL SINGH
Administrative Officer (E)
Central Bureau of Investigation

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)
DIRECTORATE OF ANTI-SMUGGLING

New Delhi, the 12th August 1978

No. 1.—In pursuance of this Directorate's order F. No. 203/1/DAS/77, dated the 5th June, 1978 S/Shri O. S. Ahmed & K. S. Chawla, Inspector General Excise (SG) of the Allahabad & Patna Central Excise Collectorates respectively, on their appointment as Inspecting Officer (Group B), on deputation basis, assumed charge of the said posts in this Directorate in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 plus 25% special pay with usual allowances as admissible under the Rules, in the forenoon of 13th June and until further orders.

BHARAT B. JULKA
Director of Anti-Smuggling

(DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS)
BANK NOTE PRESS

Dewas, the 2nd November 1978

No. BNP/C/5/78.—In continuation to this Department's Notification of even number dated 30-8-78 the ad-hoc appointment of Shri N. G. Kibe, as Accounts Officer in Bank Note Press, Dewas is extended for a further period from 1-8-78 to 31-12-78 on the same terms and conditions.

M. V. CHAR
Dy. General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA)

New Delhi, the 10th November 1978

No. 1505-CA-1/349-69.—Additional Deputy Comptroller & Auditor General (Commercial) has permitted Shri S. N. Palsane, Audit Officer (Commercial) to retire voluntarily from Government service under provision of Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 25013/7/77-Estt (A), dated 26-8-77 with effect from 23-9-1978 (AN).

S. D. BHATTACHARYA
Joint Director (Commercial)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
JAMMU AND KASHMIR

Srinagar, the 7th November 1978

No. Adm.I/60(60)/78-79/2801-08.—The Accountant General, Jammu and Kashmir has appointed Shri Moti Lal Dhar (date of birth 17-8-1939), a permanent Section Officer of this office, to officiate as Accounts Officer w.e.f. the forenoon of 30th October, 1978 till further orders.

M. M. MUBARAKI
Sr. Dy. Actt. General

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,
RAJASTHAN

Jaipur, the 3rd November 1978

No. Admn. II/G-G.Notification/940.—The Accountant General is pleased to appoint Shri H. S. Dev, Section Officer of this Office as Officiating Accounts Officer until further orders w.e.f. 26-4-77(FN) on proforma basis.

(Sd.) ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General, Admn.

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR, N.E. RAILWAY,
GORAKHPUR

Gorakhpur, the 30th October 1978

No. Admn/18-6(2)/68.—Shri Krishna Kumar Gupta, an officiating Audit Officer of the Office of the Chief Auditor, North Eastern Railway, Gorakhpur expired in the forenoon of 18th October, 1978.

(Sd.) ILLEGIBLE
Dy. Chief Auditor

MINISTRY OF DEFENCE

D. G. O. F. HQRS CIVIL SERVICE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta, the 1st November 1978

No. 14/78/A/E—1.—On attaining the age of superannuation Shri Amarendra Nath Chaudhuri, Subst. & Permt. A.S.O. retired from service with effect from 31.10.78 (A.N.).

D. P. CHAKRAVARTI
ADGOF/Admin.
for Director General, Ordnance Factories.

INDIAN ORDNANCE & ORDNANCE EQUIPMENT FACTORIES

Calcutta, the 7th November 1978

No. 11/78/A/M.—The President is pleased accept the resignation of Dr. Erikrishna Mahapatra, Asstt. Medical Officer, Ordnance Factory Bhandara w.e.f. 8-6-78(F.N.).

Brig.
K. C. SAKSENA
Director of Health Services
for Director General, Ordnance Factories

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta, the 28th October 1978

No. 69/G/78—On attaining the age of superannuation the undernoted officers retired from service with effect from the date shown against each:—

Sl. No.	Name and Designation	Date of retirement
1.	Shri P. Roy, Offg. DADGOF (Subst. P Permt. DADGOF)	30th Apr., 1975/AN
2.	Shri N. N. Sinha, Offg. Sr. DADGOF (Subst. & Permt. DADGOF)	31st Jan., 1976/AN
3.	Shri Sanat Kumar Ray, Subst. Permt. Sr. DADGOF	31st Jan., 1976/AN
4.	Shri B. B. Chatterjee, Offg. Sr. DADGOF (Subst. & Permt. DADGOF)	29th Feb., 1976/AN
5.	Shri B. N. Ray, Subst. Permt. ADGOF Grade II	29th Feb., 1976/AN
6.	Shri B. M. Taneja, Subst. & Permt. ADGOF Gr. I	31st Mar., 1976/AN
7.	Shri K. C. Paul, Offg. AD OF Grade II (Subst. Permt. Sr. DADGOF)	31st Mar., 1976/AN
8.	Shri B. C. Neogi, Offg. Sr. DADGOF (Subst. & Permt. DADGOF)	30th Sept., 1976/AN
9.	Shri T. V. Chidambaram, Subst. & Permt. DADGOF	30th Sept., 1976/AN
10.	Shri J. P. Das Gupta, Offg. Sr. DADGOF (Subst. & Permt. DADGOF)	31st Dec., 1976/AN

The 4th November 1978

No. 75/78/G.—On attaining the age of superannuation (58 years) Shri S. N. Dhir, Subst. & Permt. Deputy Manager retired from service w.e.f. 31-5-1978(A/N).

V. K. MEHTA
Assistant Director General, Ordnance Factories

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS (ADMINISTRATION SECTION A—I)

New Delhi-1, the 7th November 1978

No. A—1/1(1103)/78.—The Director General of Supplies & Disposals hereby appoints Shri G. Nandiga, Superintendent to officiate on *ad-hoc* basis as Assistant Director (Admn.) (Grade II) in the office of the Director of Inspection(Met.), Burnpur with effect from the forenoon of the 16th October, 1978 and until further orders.

SURYA PRAKASH
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL & MINES (DEPARTMENT OF MINES) GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 4th November 1978

No. 7410 B/2222(PKM)/19A.—Shri Pradeepta Kishore Mohanty is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 12th September, 1978, until further orders.

No. 7422B/2222(MHP)/19A.—Shri Mantha Hari Prasad is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 11th September, 1978, until further orders.

The 6th November 1978

No. 7471B/2222(VKK)/19A.—Shri Vasant Kisan Khadse is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 7th September, 1978, until further orders.

The 7th November 1978

No. 7501B/2222(NVV)/19A.—Shri N. V. Venkatraman is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 31st August, 1978, until further orders.

No. 7512B/2222(KGR)/19A.—Shri Kadavallur Gopala-Krishnan Radhakrishnan is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740— 35—810—EB— 35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 30th August 1978, until further orders.

No. 7525B/2222(KK)/19A.—Shri K. Kumaran is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 4th September, 1978, until further orders.

No. 7537B/2222(AKW)19A.—Shri Ashok Kumar Wangu is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 13th September, 1978, until further orders.

V. S. KRISHNASWAMY
Director General

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 7th November 1978

No. A. 19012(103)/78—Estt. A.—Shri R. K. Ghonge, Senior Technical Assistant (Ore Dressing) is promoted to officiate as Assistant Chemist (Ore Dressing) in Indian Bureau of Mines on ad hoc basis with effect fro mthe forenoon of 16th October, 1978, until further orders.

No. A. 19012(104)/78—Estt. A.—Shri R. A. Mishra, Senior Technical Assistant (Ore Dressing(is promoted to officiate as Assistant Chemist (Ore Dressing) in Indian Bureau of Mines on ad hoc basis with effect from the forenoon of 16th October 1978, until further orders.

The 9th November 1978

No. A—19012(107)/78—Estt. A.—Shri K. S. Shami, officiating Superintendent Indian Bureau of Mines is promoted to Officiate as Assistant Administrative Officer in Indian Bureau of Mines with effect from the forenoon of 24th October, 1978, until further orders.

S. BALAGOPAL
Head of Office
Indian Bureau of Mines

SURVEY OF INDIA SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun, the 4th November 1978

No. C-5428/707—The undermentioned officers are appointed to officiate as Officer Surveyor (Group 'B' post), Survey of India

in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the date as shown against each, purley on *ad-hoc* provisional basis:—

Sl. No.	Name and Designation	Unit/Office	With effect from
1.	Shri Yashpal Kalra, Scientific Assistant, Ord. Gd.	No. 69(Computing Party (G&RB), Dehradun.	12th May 1978 (FN)
2.	Shri N.C. Ray, Surveyor Sel. Gde.	No 35 Party (NEC) Gauhati	11th August 1978 (FN)
3.	Shri A.K. Uniyal, Surveyor Sel. Gde.	No. 19 Party (G&RB) Dehra Dun.	22nd Sept., 1978 (FN)
4.	Shri K. S. Mamdhari, Scientific Assistant, Ord. Gde.	No. 19 Party (G&RB) Dehra Dun.	22nd Sept., 1978 (FN).
5.	Shri Bhagwan Singh, Geodetic Computer, Ord. Gde.	No. 69 (Computing Party) (G&RB), Dehra Dun.	22nd Sept., 1978 (FN).
6.	Shri J.L.J. Rao, Surveyor Sel. Gde.	Pilot Map Production Plant Hyderabad.	25th Sept., 1978 (FN)
7.	Shri Balram Singh, Draftsman Division I Sel. Gde.	No. 6 Drawing Office (NC), Dehra Dun.	3rd October 1978 (FN)

The 8th November 1978

No. C—5431/1718/718—A.—Shri Van Khuma, Officiating Office Superintendent (Sr. Scale), Centre for Survey Training and Map Production, is appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group 'B' post), on *ad-hoc* basis in Survey Training Institute, Survey of India, Hyderabad, on pay of Rs. 840/- p.m. in the scale of pay of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 1*st July* 1978 (*FN*) *vice* Shri H. D. Chakraborty, Establishment and Accounts Officer retired on superannuation on 30th June 1978 (AN).

K. L. KHOSLA
Major-General,
Surveyor General of India

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 6th November 1978

No. A. 38013/1/78—Est.—On attaining the age of superannuation, Shri H. B. Bhattacharya, Assistant Production Manager (Printed Publicity) in the Directorate of Advertising & Visual Publicity, retired from Government service on the afternoon of 30th September, 1978.

R. DEVASAR
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising and Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICE

New Delhi, the 8th November 1978

No. A.31013/4/77(AIIPMR) Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri G.T. Matta in a substantive capacity in the post of Chief Vocational Guidance Department, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay, with effect from the 10th August 1976.

The 10th November 1978

No. A. 12026/24/78(AIIHPH) Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. Sushil Singh Srivastava to Grade I of the I.S.S. and to post him as Professor of Statistics at the All India Institute of Hygine and Public Health, Calcutta with effect from the forenoon of 12th October, 1978, on a temporary basis and until further orders.

S. L. KUTHIALA
Deputy Director Admn. (O&M)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)
DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION

N. H. IV, Faridabad, the 8th November 1978

No. F. 4—6(100)/78—A. III.—Shri R.M. Parate, officiating Assistant Marketing Officer, has been relieved of his duties in this Directorate at Bombay with effect from 6-2-1978 (F.N.), to join the post of Deputy Marketing Manager (Grade II) in the State Trading Corporation of India Ltd on 'National' foreign service.

The 9th November 1978

No. A. 19023/4/78—A.III.—The short term appointment of the following officers to the posts of Marketing Officer (Group I) have been extended upto 31-12-78, or until regular arrangements are made, whichever is earlier.

1. Shri S. B. Chakravarty
2. Shri S. V. Krishnamurthy
3. Shri R. V. Kurup
4. Shri K. Suryanarayana
5. Shri S. P. Bhasin
6. Shri A. C. Guin
7. Shri R. Narasimhan
8. Shri M. Chakraborty

No. A.19024/5/78-A.III.—The short-term appointment of Shri Chandra Prakash to the post of Chief Chemist has been extended upto 31-12-78, or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

No. A. 19024/9/78—A.III.—The short-term appointment of Shri A.A.S. Prakasa Rao to the post of Chief Chemist has been extended upto 31-12-78, or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

No. A.19025/65/78-1.III—The short term appointment of the following officers to the posts of Assistant Marketing Officer (Group I) have been extended upto 31st December, 1978, or until regular arrangements are made, whichever is earlier:—

S/Shri	S/Shri
1. R.S. Singh	14. S.D. Kathalkar
2. B.N.K. Sinha	15. R.K. Pandey
3. Nand Lal Singh	16. M.J. Mohan Rao
4. A.N. Rao	17. K.K. Sirohi
5. R.V. S. Yadav	18. Mrs. Anusuya Sivarajan
6. M.P. Singh	19. V.E. Edwin.
7. D.P. Singh	20. S.P. Saxena
8. H.N. Rai	21. N.G. Shukla
9. D.N. Rao	22. R. C. Singhal
10. S.P. Shinde	23. H.N. Shukla
11. R.C. Munshi	24. K.G. Wagh
12. K.K. Tiwari	25. S.T. Raza
13. S.K. Mallik	26. S. Suryanarayana Murthy.

B.L. MANIHAR,
Director of Administration,
for Agricultural Marketing Adviser

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE PERSONNEL DIVISION

Bombay-85, the 10th November 1978

No. M/881—MED/Estt. IV/10390.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Roshan Burjor Mistry, a permanent Sister and officiating Assistant Matron, to officiate as Matron, in this Research Centre from October 23, 1978 to November 22, 1978 AN vice Smt. T. R. Valsangkar, Matron, sent to attend the 23rd Course on Hospital Administration at New Delhi.

R. L. BATRA
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
ATOMIC MINERALS DIVISION

Hyderabad-500016, the 7th November 1978

No. AMD—1/10/77—Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Lachhmi Narain, Assistant of Atomic Minerals Division as Assistant Personnel Officer in the same division in a purely temporary capacity w.e.f. 27-9-1978 to 7-11-1978 *vice* Shri J. R. Gupta, Assistant Personnel Officer proceeded on training.

S. Y. GOKHALE
Sr. Administrative & Accounts Officer.

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400008, the 13th November 1978

No. HWPs/1/K-9/5200.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri Maruti Mangesh Kasbekar, Permanent Assistant Accounts Officer of Bhabha Atomic Research Centre and officiating Accounts Officer II in Heavy Water Projects (Central Office) retired from service on the afternoon of July 31, 1978.

R. C. KOTIANKAR
Senior Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE
CIVIL ENGINEERING DIVISION

Bangalore-560025, the 2nd November 1978

No. 10/3(44)/78-CED(H).—Chief Engineer, Civil Eng. Division, Department of Space is pleased to appoint Shri A Lakshmana Raja, an Assistant Engineer of the Public Works Department of the Government of Tamil Nadu, on deputation as Engineer SB in Civil Engg. Division, Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of August 11, 1978 and until further orders.

P I U NAMBIAR
Administrative Officer-II
for Chief Engineer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 24th October 1978

No. A. 32013/4/77-EC.—The President is pleased to appoint the following two Asstt. Communication Officers to the grade of Communication Officer on ad-hoc basis with effect from the date indicated against each for a period of six months and to post them at the station indicated against each :—

S. No.	Name	Present stn. of posting	Station to which posted	Date of assumption of charge
1.	Shri R. K. Mukherjee	ACS Calcutta	ACS Calcutta	22-6-78 (FN)
2.	Shri F. J. Rodrigues	ACS, Madras	ACS, Madras	28-6-78 (FN)

No. A. 32013/14/77-EC.—The President is pleased to appoint Shri B. R. Chaturvedi, Asstt. Director of Communication, DGCA (HQS.) working on ad-hoc basis to the grade of Deputy Director/Controller of Communication on regular basis with effect from 4-9-78 (FN) and to post him in the same office.

No. A. 38012/1/77-EC.—Shri J. N. Ganguly, Assistant Technical Officer in the Office of the Controller of Communication, Aeronautical Communication Station, Calcutta relinquished charge of his office on 28-2-1978 (AN) on retirement from Government service on attaining the age of superannuation.

The 25th October 1978

No. A.32013/11/77-EC.—The President is pleased to appoint Shri S. Venkateswaran, Technical Officer, ACS, Bombay as Senior Technical Officer on regular basis with effect from 31-7-78 (FN) and to post him in the Office of the Regional Director, Bombay.

S. D. SHARMA,
Dy. Director of Admn.

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

Kanpur, the 1st November 1978

No. 28/78.—Consequent upon his promotion to the grade of Superintendent, Central Excise, Group 'B' vide Collector, Central Excise, Kanpur's Estt. Order No. I/A/4|1978 dated 9-1-78 issued under endt. C. No. II-22-Et/78/44 Dated 9-1-78, in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 Shri Raminder Singh, Inspector (SG) took over the charge of Supdt. (Vig.) Central Excise Hdqrs. Office, Kanpur in the forenoon of 2-2-1978.

No. 40/78.—In pursuance of Estt. Order No. I/A/149/78 dated 1-6-78 & I/A/212/78 dated 19-7-78 issued under C. No. II-22-Et/78/27369 dated 1-6-78 and 35862 dated 21-7-78, Shri S. K. Gadhok, Superintendent, Group 'B' handed over the charge of Supdt. Group 'B' D. C. Office, Meerut to Shri D. N. Bhatia Superintendent, in the afternoon of 3-8-78 and assumed the charge of Supdt. in Central Excise Division Meerut in the forenoon of 8-8-78.

No. 44/78.—Shri Raghubar Dayal officiating Superintendent, Central Excise, Group 'B' MOR.II Farrukhabad handed over the charge of Superintendent, Central Excise, MOR. II Farrukhabad in the afternoon of 31-8-78 to Shri P. S. Tiwari Superintendent, Central Excise, Farrukhabad and retired from government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31-8-78.

No. 45/78.—Shri H. P. Pandey officiating Superintendent, Central Excise, Group 'B' Kanpur-II division handed over the charge of Superintendent (Tech.) Central Excise, Kanpur-II in the afternoon of 30-9-78 to Shri R. N. Lal, Superintendent, Central Excise, Kanpur-II and retired from government service on the attaining the age of superannuation in the afternoon of 30-9-78.

K. L. REKHI
Collector.

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay-400 001, the 10th November 1978

No. 25-ADMN(1)/78.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the Director General of Shipping hereby appoints Shri K. S. Butaney, Officiating Superintendent in the Directorate General of Shipping as Executive Officer/Freight Investigating Officer in a temporary capacity with effect from the 25th October, 1978 (Forenoon) until further orders.

S. M. OCHANEY, Dy. Dir. Genl. of Shipping

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the October 1978

No. A-32014/1/77-Adm.V(Vol. II).—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group-B), Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following officers presently officiating on ad-hoc basis as Assistant Engineer in the Central Water Commission, on a regular basis in the same grade in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, with effect from the dates shown against each :—

S. No.	*Name of Officer*	*Date of regular promotion*
1.	Shri B. Srinivasacharlu	14-1-78 (A.N.)
2	Shri R. K. Bhawal	9-6-78 (F.N.)

2. The above mentioned officers will be on probation in the post of Assistant Engineer for a period of two years from the dates shown against each.

The 4th November 1978

No. A-19012/744/78-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission, hereby appoints on promotion Shri Mehboob Ali, Design Assistant to the grade of E.A.D/AE in the Central Water Commission in the scale of pay Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on a purely temporary and ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th September, 1978 upto the 24th February, 1979 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

The 9th November 1978

No. A-19012/4/72-Adm.V.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri P. N. Sethi relinquished charge of the post of Extra Assistant Director, Central Water Commission with effect from the afternoon of 31st October, 1978.

J. K. SAHA
Under Secy.

CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad, the 9th November 1978

No. 3-310/73-Estt.(E).—Shri P. S. Tahim is appointed as Asstt. Engineer in the Central Ground Water Board at Ahmedabad in an temporary capacity with effect from 25-9-78(FN).

AJIT SINGH,
Chief Engineer & Member.

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-22, the 9th November 1978

No. 6/11/78-Adm.II.—Chairman, Central Electricity Authority, hereby appoints the undermentioned Technical Assistants to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) service in an officiating capacity with effect from the dates shown against their names, until further orders :—

1. Shri A. H. Kulkarni—26-9-78 (Forenoon).
2. Shri M. V. S. RajeshwarRao—26-9-78 (Forenoon).
3. Shri M. G. Gupta—4-10-78 (Forenoon).

S. BISWAS,
Under Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Globe Export Promoters Private Ltd.

Hyderabad-500 001, the 3rd November 1978

No. 1425/560/TA.I.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Globe Eport Promoters Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

V. S. RAJU
Registrar of Companies,
Andhra Pradesh, Hyderabad

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Jewel Chit Fund Private Ltd.

Bangalore, the 7th November 1978

No. 1815/560/78.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jewel Chit Fund Private Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Chamundeswari Oils & Protein Extracts Ltd.

Bangalore, the 7th November 1978

No. 2767/560/78.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chamundeswari Oils & Protein Extracts Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. N. GUHA
Registrar of Companies,
Karnataka, Bangalore

Notice under Section 445(2)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Amul Transmission Lines Hardware Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380009, the 9th November 1978

No. 1303/Liquidation.—By an order dated 1-9-1978 of the High Court of Gujarat, at Ahmedabad in company Petition No. 53 of 1976, it has been ordered to wind up M/s Amul Transmission Lines Hardware Private Ltd.

J. G. GATHA,
Registrar of Companies,
Gujarat

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-400 020, the 6th November 1978

No. F.48-Ad(AT)/78-P.II.—Shri R. K. Ghosh, officiating Assistant Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay who was appointed to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Jaipur Bench, Jaipur on ad-hoc basis in a temporary capacity for a period of three months w.e.f. 16-8-1978 to 15-11-1978 vide this office Notification No. F.48-Ad(AT)/78-P.II dated 22-8-1978, is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Jaipur Bench, Jaipur for a further period from 16-11-1978 to 28-2-1979 or till the post is filled on regular basis by appointment of a nominee of the U.P.S.C. whichever is earlier.

The above appointment is ad-hoc and will not bestow upon Shri R. K. Ghosh, a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on ad-hoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

P. D. MATHUR
President

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX DELHI-I

New Delhi, the 4th November 1978

(INCOME-TAX)

F.No. JUR-DLI/1/78-79/27580.—In eercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 125A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of the notifications issued earlier on the subject C.I.T., Delhi-I hereby directs that all or any of the powers or functions conferred on, or assigned to the Income-tax Officer, Company Circle-XX, New Delhi in respect of any area or persons or classes of persons or incomes or classes of income, or cases or classes of cases shall be exercised or performed concurrently by the I.A.C. Range-I-E.

2. For the purpose of facilitating the performance of the functions C.I.T., Delhi-I also authorises the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Range-I-E to pass such orders as contemplated in sub-section (2) of Section 125A of the Income-tax Act, 1961.

This notification shall take effect from 4-11-1978.

No. JUR-DLI/1/78-79/27711—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) and of all other enabling powers in this behalf and in modification of earlier orders on the subject, the Commissioner of Income-tax, Delhi-I, New Delhi hereby directs that the Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax mentioned in Col. 1 of the Schedule herein below shall perform all the functions of an Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax under said Act in respect of such areas or such persons or classes of persons or of such incomes or classes of income or of such cases or classes of cases as fall within the jurisdiction of the ITOs of the Districts/Circles mentioned in Col. 2 of the said Schedule:—

SCHEDULE

Range	Income-tax Distt./Circles
1	2
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Range-I-A, New Delhi.	1. Company Circles-III, XII, XIII, XVI and XXIII, New Delhi.
	2. Chartered Accountants' Circles, New Delhi.
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Range-I-D, New Delhi.	1. Company Circles-II, VII, X, XIV, XV and XIX, New Delhi.
	2. Special Circle-XV, New Delhi.
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Range-I-E, New Delhi.	1. Company Circle-XX, New Delhi.

This notification shall take effect from 4-11-1978.

K. N. BUTANI,
Commissioner of Income-tax
Delhi-I, New Delhi

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, DHARWAR-4

Dharwar-4, the 23rd October 1978

Notice No. 239/78-79/Acq.—Whereas, I,
D. C. RAJAGOPALAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Revenue Records (Matriz)
No. 2544, situated at Raia Village, Taluka and Sub-District of Salcete, (Goa),
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Margao, Under Document No. 355, on 16-3-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilities the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the said Act to the following persons namely :—

(1) (a) Shri Lidio Livingstone Berila Da Piedade Menezes, (b) Smt. Dulce Filomena Do Rosaria Rego Menezes, R/o Precy Building, Ground Floor, Fontainhas, Panaji (Goa).

(Transferor)

(2) (a) Shri Morto Pundolica Naik.
(b) Shri Rajan Morto Naik, and
(c) Shri Sajan Morto Naik.
All R/o House No. 203,
Raia Village, Margo Taluka.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of thics notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is known as "Raicho Ambo" situated at Raia Village, Abutting Margaoponda Road, Half portion of a total area of 6614 Sq. Metres, including a house.

D. C. RAJAGOPALAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar.

Dated : 23-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 7th October 1978

Ref. No. M-103/Acq.—Whereas, I,
A. S. BISEN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
171/1, Bazar Jhao Lal (R. K. Tandon Road), situated at Lucknow
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Lucknow on 28-3-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Kumar Bhargava, Advocate & others. (Transferor)

(2) Shri Mohanlal Pahwa & others. (Transferee)

(3) Vendor as per 37-C. (Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property; within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 171/1, Bazar Jhaolal (R. K. Tandon Road), Lucknow including land etc. and all that description of the property which is mentioned in the sale-deed and form 37-G duly registered at the office of the Sub-Registrar, Lucknow on 28-3-1978.

A. S. BISEN.
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquiistion Range, Lucknow.

Dated : 7-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 7th November 1978

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/397/March-95/78-79.—Whereas, I, J. S. GILL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. E-448 situated at Greater Kailash-II, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 31-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Smt. Mohini Sharma w/o. Sh. Bishambar Nath Sharma, r/o G-8, Police Lines, Kingsway Camp, Delhi through her Attorney Sh. Jagat Parkash.

(Transferor)

(2) Shri Harjinder Singh, s/o Shri Mohan Singh, r/o 52/42, Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land measuring 250 sq. yds. bearing No. E-448, Greater Kailash-II, New Delhi within the limits of Delhi Municipal Corporation, in the Revenue Estate of Village Bahapur and bounded as under :—

East : House No. E-446.
West : House No. E-450.
North : Road.
South : S. Lane.

J. S. GILL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquiistion Range-I, New Delhi.

Dated : 7-11-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 7th November 1978

Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No.
C-10 situated at Connaught Place, New Delhi
situated at Chahar Bagh/Shivaji Nagar, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
New Delhi on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

13—356GI/78

(1) Shri Joginder Singh Sandhu, (Karta & Manager of H.U.F.), s/o Shri R. B. Basakha Singh, r/o E-10A, Defence Colony, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Om Dutt, s/o Shri Amar Nath (2) Shri Yog Dutt, s/o Shri Amar Nath (3) Shri Surinder Kumarm s/o Shri Amar Nath, r/o R-671, New Rajinder Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One shop bearing No. 8C1/2 (Mupl. No. 10-C and Maznanine floor out of prem House, situated in 'C' Block, Connaught Place, New Delhi, measuring 295 sq. ft. and bounded as under :—

East : Other property.
West : Road.
North : Other property.
South : Other property.

J. S. GILL,
Competetn Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Dated : 7-11-1978
Seal ;

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 7th November 1978

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/375/March-59/78-79.—Wherens, I, J. S. GILL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. C-2 & C-3 situated at Connaught Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Joginder Singh Sandhu (Karta and Manager H.U.F.) s/o S. Basakha Singh, r/o E-10A, Defence Colony, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. Jagatjit Cotton Textile Mills Ltd., Thapar House, 124-Janpath, New Delhi through its Managing Director Sh. M. M. Thapar & Shri P. C. Virmani.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Pacca two shops bearing Municipal Nos. C-2 & C-3 and Maznanini Floors out of Prem House in Block-C, Connaught Place, New Delhi measuring approx. 1392.87 sq. ft. and bounded as under :—

East : Open space.
West : Radial Road No. 4.
North : Shop No. C-1.
South : Staircase.

J. S. GILL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquiistion Range-I, New Delhi.

Dated : 7-11-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE,

New Delhi, the 7th November 1978

Ref. No. IAC/Acq.I.SR.III/347/March 17/78-79.—Whereas, I, J. S. GILL, being the Competent Authority under Section 269-D of the the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at 48/172 situated at Jor Bagh, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at New Delhi on March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajinder Kumar Kakaria, s/o late Shri Labhu Ram Kakaria, r/o 8-Jain Mandir Road, New Delhi. (Transferor)

(2) M/s Red Roase Estates Pvt. Ltd. 12/48, Maloha Marg, Diplomatic Enclave, New Delhi. (Transferee)

(3) Shri B. D. Tayal & M/s. Hindustan Ieyer Ltd. (Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed House with a barasti, on a garage and one servant quarter on Plot No. 48/172, Jor Bagh, New Delhi and bounded as Under :—

East : House No. 47.
West : House No. 48-A.
North : Road and open lawn.
South : Service Lane.

J. S. GILL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Dated : 7-11-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 13th October 1978

Ref. No. 402/NWS/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Rahon
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nawan Shehar on March, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought ot be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vishwa Mittar s/o Shri Nand Lal, V-15, Mohan Market, Pathankot.
(Transferor)

(2) Shri Vijay Kumar s/o Shri Sat Paul, Vill. Rahon, Mohalla Sarafan, Rahon, Teh. Nawan Shehar.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 36 Kanals and 17 marlas in village Rahon as mentioned in sale deed No. 4660 of March, 1978 registered with the S.R. Nawan Shehar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 12-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 12th October 1978

Ref. No. 403/NWS/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Vill. Rahon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, at Nawan Shehar on March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect or any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sh. Kewal Krishan, Raj Kumar ss/o Shri Nand Lal, Vill. Rahon, Teh. Nawan Shehar, Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) S/Shri Surinder Mohan, Bimal Kumar ss/o Shri Ram Paul, Vill. Rahon, Mohalla Sarafan, P.O. Rahon, Teh. Nawan Shehar.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 36 Kanals and 17 marlas in village Rahon as mentioned in sale deed No. 4677 of March, 1978 registered with the S. R. Nawan Shehar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 12-10-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 13th October 1978

Ref. No. AP-404/ABH/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Abohar
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Abohar on March, 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohan Singh s/o Shri Sant Singh s/o Shri Harnam Singh, Gali No. 21, Gaushala Road, Abohar, Teh. Fazilka.
(Transferor)

(2) Shri Des Raj s/o Shri Jetha Ram s/o Shri Khushia Ram, R/o Gali No. 4, Nai Rbadi, Abohar, Teh. Fazilka.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of a house bearing No. 2330 in Gali No. 21 on Gaushala Road, Abohar as mentioned in sale deed No. 2259 of March, 1978 registered with the S. R. Abohar.

P. N. MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 13-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 13th October 1978

Ref. No. AP 405/KPR/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Hamira
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, Kapurthala on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957. (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269 D of the said Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Chanan Singh s/o Shri Rur Singh & Gian Singh s/o Chanan Singh, R/o Basti Ibrahim Khan, Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Sh. Ajit Singh s/o Sh. Sadhu Singh, R/o Reru, Distt. Jullundur.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 44 Kanals and 6 marlas in village Hamira as mentioned in sale deed No. 3513 of March, 1978 registered with the S. R. Kapurthala.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 13-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 13th October 1978

Ref. No. 406/ABH/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Vill. Dhingan Wali (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar on March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tranfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Sh. Sheo Karan s/o Sh. Bhani Ram, R/o Vill. Dhingan Wali, Teh. Fazilka.
(Transferor)

(2) Sh. Mohar Chand s/o Sh. Bakhta Ram, R/O Dhingan Wali, Teh. Fazilka.
(Transferee)

(3) As per Sl. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 80 Kanals in village Dhingan Wali as mentioned in sale deed No. 3077 of March, 1978 registered with the S. R. Abohar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 13-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 13th October 1978

Ref. No. AP 407/MGA/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Kokari Kalan
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Moga on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) fcilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Malkait Singh s/o Sh. Pala Singh, R/o Nathu Wala Jadid, Teh. Moga.
(Transferor)

(2) Sh. Mukhtiar Singh s/o Sh. Karam Singh & Sh. Sunder Singh Sh. Chamkaur Singh, Sunder Singh ss/o Mukhtiar Singh, R/o Purane Wala, Teh. Moga.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 51 Kanals in village Kokri Kalan as mentioned in sale deed No. 7678 of March, 1978 registered with the S.R. Moga.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 13-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 13th October 1978

Ref. No. AP-408/MKT/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per schedule situated at Bariwala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Muktsar on March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act,' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Jagan Nath s/o Sh. Nand Ram s/o Sh. Shiv Lal, R/O Bariwala, Teh. Muktsar.
(Transferor)

(2) S/Sh. Basant Singh, Ajmer Singh, Gurbachan Singh & Kesar Singh ss/o Sh. Ram Singh through Sh. Raj Singh, Basant Singh, Cloth Sellers, Bariwala, Teh. Muktsar.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop bearing No. 406 in Bariwala as mentioned in sale deed No. 2550 of March, 1978 registered with the S.R. Muktsar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 13-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 13th October 1978

Ref. No. AP409/MSR/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Vill. Urmar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dasuya on March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Jagir Singh s/o Sh. Wasakha Singh, R/o Vill. Fauji Colony Urmar, Teh. Dasuya.
(Transferor)

(2) S/Sh. Balraj Singh, Harpal Singh ss/o Sh. Darshan Singh, Vill. Fauji Colony Urmar, Teh. Dasuya.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 41 Kanals and 10 marlas in village Urmar as mentioned in sale deed No. 4269 of March, 1978 registered with the S.R. Dasuya.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 13-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 13th October 1978

Ref. No. AP410/ABH/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Abohar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Abohar on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to bme disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Bhajan Singh Urf Harbhajan Singh s/o Sh. Ram Singh s/o Sh. Naurang Singh (2) Smt. Swaran Kaur wd/o Sh. Ram Singh s/o Sh. Naurang Singh, R/O Vill. Dhani Chirag (Abohar).
(Transferor)

(2) S/Sh. Piara Singh, Kundan Singh & Dara Singh ss/o Sh. Labh Singh s/o Sh. Mukha Singh, Jammu Basti, Abohar, Teh. Fazilka.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, ot the acquisition of the said property may be maed in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expire later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 64 Kanals in Abohar as mentioned in sale deed No. 2877 of March, 1978 registered with the S.R. Abohar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 13-10-78.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 20th October 1978

Ref. No. AP411/GRH/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Data
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Garh Shanker on March 1978
1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Sh. Mohinder Singh, s/o Sh. Niranjan Singh s/o Sh. Amar Chand, Vill. Chak Musa Teh. Garh Shanker.
(Transferor)

(2) Sh. Jaswinder Singh s/o Sh. Piara Singh, Vill. Data & Sh. Sarwan Singh s/o Sh. Rattan Singh, Vill. Mahsopur, Distt. Jullundur.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 24 Kanals and 17 marlas in village Data as mentioned in sale deed No. 3794 of March, 1978 registered with the S.R. Garh Shanker.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 20-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 20th October 1978

Ref. No. AP412/NKD/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Uggi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nakodar on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Balbir Singh s/o Sh. Ram Singh s/o Sh. Gahna Singh, Village Uggi, Teh. Nakodar.
(Transferor)

2) Sh. Malkiat Singh s/o Sh. Narain Singh s/o Sh. Sunder Singh, R/O Vill. Rahimpur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 28 Kanals and 12 marlas in village Uggi as mentioned in sale deed No. 2929 of March, 1978 registered with the S.R. Nakodar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 20-10-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, 20th October 1978

Ref. No. AP413/PML/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated Rampura Phool
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Phool on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Murli Dhar s/o Sh. Kanshi Ram, Rampura Phool.
(Transferor)

(2) M/s Punjab Kissan Ahrat Centre, Rampura Phool.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot measuring 425 sq. yards in Rampura Phool as mentioned in sale deed No. 3592 of March, 1978 registered with the S.R. Phool.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 20-10-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 20th October 1978

Ref. No. AP414/SPL/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at V. Karamjit Pur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sultanpur Lodhi on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) S/Sh. Surjit Singh, Baldev Singh ss/o Sh. Tehal Singh s/o Sh. Rajinder Singh, R/O Vill. Karamjit Pur, Teh. Sultanpur Lodhi, (Kapurthala).
(Transferor)

(2) S/Sh. Raghbir Singh, Nasib Singh, Lakhwinder Singh ss/o Sh. Munsha Singh, R/O Vill. Kamrai, Teh. Bholath, Distt. Kapurthala.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 76 Kanals and @ 15½ marlas village Karamjit as mentioned in sale deed No. 2020 of March, 1978 registered with the S.R. Sultanpur Lodhi.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 20-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, 20th October 1978

Ref. No. AP415/MNS/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Sangha
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908) (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sardulgarh on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kirpal Kaur d/o Sh. Lehna Singh, Vill. Sangha, Teh. Sardulgarh.
(Transferor)

(2) Sh. Gajjan Singh s/o Sh. Bagga Singh s/o Sh. Gurcharan Singh, Sh. Baljinder Singh, Sh. Patwinder Singh ss/o Sh. Gajjan Singh, R/o Vill. Sangha, Teh. Sardulgarh.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 69 Kanals and 9 marlas in village Sangha as mentioned in sale deed No. 1427 of March, 1978 registered with the S.R. Sardulgarh.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 20-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 20th October 1978

Ref. No. AP416/KPR/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Kapurthala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Panjab Singh s/o Sh. Wasawa Singh, R/O Vill. Noor Dosan, at present Kapurthala.
(Transferor)

(2) Maharaj •Uggar Sain Rice & Allied Industries, Kapurthala.

(3) As per S. No. 2 above.
Person in occupation of the property).
(Transferee)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 31 Kanals and 5 marlas in Kapurthala as mentioned in sale deed No. 3309 of March, 1978 registered with the S.R. Kapurthala.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 20-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, 20th October 1978

Ref. No. AP417/SPL/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Deepu Wal
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sultanpur Lodhi on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Teja Singh s/o Sh. Siohn Singh s/o Sh. Mian Singh, R/O Vill. Talwan, Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Sh. Resham Singh s/o Sh. Chanan Singh (2) Sh. Shingara Singh, Sh. Surinder Singh ss/o Sh. Sarwan Singh, Vill. Deepowal, Teh. Sultanpur Lodhi.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 89 Kanals and 14 marlas in village Deepowal as mentioned in sale deed No. 2023 of March, 1978 registered with the S.R. Sultanpur Lodhi.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 20-10-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 20th October 1978

Ref. No. AP418/MGA/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Arafwala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Zira on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Asso and Smt. Isso w/o Sh. Nihal Singh, R/O Vill. Mallan Wali, Teh. Zira.

(Transferor)

(2) S/Sh. Gurbachan Singh, Dalip Singh & Mohinder Singh ss/o Sh. Nihal Singh, R/O Vill. Mallan Wali Teh. Zira.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 75 Kanals and 6 marlas in village Arafwala and agricultural land measuring 37 Kanals and 1 marla in village Mallan Wali as mentioned in sale deed No. 6025 of March, 1978 registered with the S.R. Zira.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 20-10-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, 20th October 1978

Ref. No. AP 419/SPL/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at Talwandi
Amritsar (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) on the office of the Registering Officer at Sultanpur Lodhi on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent, consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Sh. Rehma s/o Sh. Biru, R/o Vill. Hussain Dulo Wala, Teh. Sultanpur Lodhi (Kapurthala).
(Transferor)

(2) Sh. Dulip Singh (2) Sh. Gurcharan Singh & Sh. Karnail Singh ss/o Sh. Khushal Singh, R/o Vill. Talwandi Teh. Sultanpur Lodhi.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 56 Kanals in village Talwandi as mentioned in sale deed No. 1893 of March, 1978 registered with the S.R. Sultanpur Lodhi.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 20-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 20th October 1978

Ref. No. AP420/HSR/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Vill. Hajam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur on March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Roshan Lal s/o Sh. Hari Chand s/o Sh. Hukmi and (2) Sh. Vijay Kumar, Bhagwan Dass ss/o Sh. Roshan Lal, Vill. Hajam, Distt. Hoshiarpur.
(Transferor)

(2) Sh. Mohinder Singh s/o Sh. Banta Singh s/o Sh. Attar Singh, Vill. Kandhala Jattan, Distt. Hoshiarpur.
(Transferor)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 48 Kanals in village Hajam as mentioned in sale deed No. 4194 of March, 1978 registered with the S.R. Hoshiarpur.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 20-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITIN RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 30th ctober 1978

Ref. No. AP421/ABH/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at Fazilka
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
Fazilka on Mach 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Krishan Kumar s/o Sh. Nand Lal Fazilka and Anju Rani w/o Sh. Krishan Kumar, Fazilka.
(Transferor)

(2) Smt. Durga Devi w/o Kartar Singh Amarjit Kaur w/o Avtar Singh H. No. 530 Gali Santokh Singh Kachhari Road, Fazilka.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One House No. 530 in Gali Santokh Singh on the Kachhari Road, Fazilka as mentioned in the sale deed No. 3931 of March, 1978 registered with the S.R. Fazilka.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 30-10-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 3rd November 1978

Ref. No. AP 422/HSR/78-79.—Wherein, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Hoshiarpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hoshiarpur on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money's or other assets which hve not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gurbachan Kaur w/o Rulia Ram s/o Ishar Das c/o Dr. Rulkar Singh, 266 Housing Colony, Karnal.
(Transferor)

(2) Sh. Krishan Gopal Handa (Detd. Tehsildar) c/o B. B. Handa, Advocate, Lajpat Rai Road, Hoshiarpur.
(Transferees)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 247 in Kishan Nagar, Hoshiarpur as mentioned in sale deed No. 4562 of March, 78' registered with the S.R. Hoshiarpur.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 3-11-78.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 3rd November 1978

Ref. No. AP423/MSR/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Hoshiarpur
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hoshiarpur on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Sh. Charanjit Singh s/o Deewan Singh, 59 Model Town, Hoshiarpur.
(Transferor)

(2) Sh. Prithvi Nath Prashar s/o Amar Nath Prashar s/o Lakshmi Dhan Prashar, 66R Model Town, Hoshiarpur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi No. 66R in Model Town, Hoshiarpur as mentioned in the sale deed No. 4387 of March, 78' registered with the S.R. Hoshiarpur.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 3-11-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 3rd November 1978

Ref. No. AP424/ABH/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Abohar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Abohar on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mankori wd/o Khiali Ram (2) Asha Devi d/o Khiali Ram (3) Brij Lal s/o Khiali Ram r/o Khui Khera Teh. Fazilka.
(Transferor)

(2) Sh. Bhagwan Das s/o Lachi Ram R/O Gali No. 3, Mandi Abohar.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One House No. 905 in Gali No. 1 as mentioned in the sale deed No. 2914 of March, 1978 registered with the S.R. Abohar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 3-11-78
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 3rd November 1978

Ref. No. AP 425/BTI/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Bhatinda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Bhatinda on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) faicilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) faicilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sh. Deewan Chand s/o Kanshi Ram s/o Hira Lal, Bhatinda.
(Transferor)

(2) Sh. Amrit Lal s/o Kahan Chand s/o Tilak Ram, H. No. 628, Namdev Nagar, Bhatinda.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

A house No. 628 in Namdev Nagar, Bhatinda as mentioned in sale deed No. 6564 of March, 78' registered with the S.R. Bhatinda.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 3-11-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 4th November 1978

Ref. No. AP 426/ABN/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Abohar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Abohar on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Mohan Singh s/o Sh. Sant Singh s/o Sh. Harnam Singh, R/O Gali No. 21, Gaushala Road, Abohar, Teh. Fazilka.
(Transferor)

(2) Sh. Satish Kumar s/o Sh. Des Raj s/o Sh. Jetha Ram, R/O Gali No. 4, Nai Abadi, Abohar, Teh. Fazilka.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of a house situated in Gali No. 21 and bearing No. 2330 on Gaushala Road ABOHAR as mentioned in sale deed No. 3004 of March, 1978 registered with the S.R. Abohar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 4-11-78
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 9th November 1978

Ref. No. AP 427/BTI/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Bhatinda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Bhatinda on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Mohan Lal s/o Sh. Bakshi Ram s/o Sh. Molu Mal, R/o Bhatinda.
(Transferor)

(2) Sh. Gurcharan Singh s/o Sh. Ishar Singh, R/O H. No. 3243, Guru Nanak Sector, Bhatinda.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Prson in occupation of th eproprty)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house bearing M.C. No. 3012 in Guru Nanak Sector as mentioned in sale deed No. 6389 of March, 1978 registered with the S.R. Bhatinda.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Dated : 9-11-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 9th November 1978

Ref. No. AP428/KPR/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Kapurthala
Kapurthala on March, 1978
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
As per schedule situated at Kapurthala
Kapurthaal on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to py tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Charan Dass s/o Sh. Shanker Dass through Sh. Charan Dass Mulkh Raj, Mandi Kapurthala.
(Transferor)

(2) Sh. Jaswinder Pal s/o Sh. Tilak Raj through Tilak Raj Madan Mohan, Mandi Kapurthala.
(Transferor)

(3) As per S. No. 2 above
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house-cum-godown on Railway Road, Kapurthala as mentioned in sale deed No. 3404 of March, 1978 registered with the S.R. Kapurthala.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatnda

Dated : 9-11-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 9th November 1978

Ref. No. AP 429/GHS/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per schedule situated at Guru Harsahia (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Guru Har Sahai on March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Madan Lal s/o Sant Ram through Sh. Madan Lal Sham Lal, Grain Mandi, Guru Har Sahai.
(Transferor)

(2) S/Sh. Manohar Lal, Mohan Lal, Vijay Kumar ss/o Lala Ram Rakha Mal, Amrit Lal s/o Khraiti Lal c/o Manohar Lal Mohan Lal, Dana Mandi, Guru Har Sahai.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here in as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share in a Sheller of 4 Kanals and 3 marlas at Guru Har Sahai as mentioned in sale deed No. 1866 of March, 78' registered with the S.R. Guru Har Sahai.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 9-11-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 9th November 1978

Ref. No. AP 430/GHS/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Secion 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Guru Har Sahai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guru Har Sahai on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Madan Lal s/o Sh. Sant Ram through Sh. Madan Lal Sham Lal, Mandi Guru Har Sahai.

(Transferor)

(2) S/Sh. Manohar Lal, Mohan Lal, Vijay Kumar ss/o Lala Ram Rakha Mal & Amrit Lal s/o Khraiti Lal through Manohar Lal, Mohan Lal, Dana Manda Guru Har Sahai.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above

(Prson in occupation of th epropriy)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share in a Sheller on 4 Kanal and 3 marlas as mentioned in sale deed No. 1876 of March, 1978 registered with the S.R. Guru Har Sahai.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 9-11-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 10th November 1978

Ref. No. AP431/GHS/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immoveable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per scheduled situated at Guru Har Sahai
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Guru Har Sahai on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Madan Lal s/o Sh. Sant Ram through Sh. Madan Lal Sham Lal, Grain Market, Guru Har Sahai.

(Transferor)

(2) S/Sh. Manohar Lal, Mohan Lal, Vijay Kumar ss/o Lala Ram Rakha Mal, Amrit Lal s/o Khraiti Lal through Manohar Lal Mohan Lal, Grain Market, Guru Har Sahai Mandi.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share in a sheller of 4 Kanals and 3 marlas at Guru Har Sahai as mentioned in sale deed No. 1902 of march 1978 registered with the S.R. Guru Har Sahai.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 9-11-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 10th November 1978

Ref. No. AP432/MLT/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Malout (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Malout on March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Bal Krishan, Smt. Shakuntla Devi, Smt. Chandrawati through Sh. Hari Chand s/o Sh. Dalip Singh, R/o Hansi (Hissar).

(Transferors)

(2) Smt. Gurtej Kaur wd/o Sh. Ranbir Singh through Arjan Motors, G.T. Road, Malout.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
(Prson in occupation of th eproprty)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop on G.T. Road, Malout as mentioned in sale deed No. 2826, of March, 1978 registered with the S.R. Malout.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 10-11-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 10th November 1978

Ref. No. AP433/MKT/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Muktsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Muktsar on March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sh. Gokal Chand, Jagan Nath, Sohan Lal, Smt. Parkash Wati through Sh. Jagan Nath, Seed Dealer, Bagha Market, Muktsar.

(Transferor)

(2) S/Sh. Amar Nath, Karnail Singh, Jiwan Singh, Ujjal Singh, Ganesh Dass through Amar Soap Factory Tibi Sahib Road, Muktsar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above

(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersgined—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

7/8th portion of one single storey commercial property on Tibbi Sahib Road, Muktsar as mentioned in sale deed No. 25'7 of March, 1978 registered with the S.. R. Muktsar

P. N. Malik,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 10-11-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 15th November 1978

Ref. No. AP 434/FZR/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Ferozepur Cantt.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ferozepur on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Gopi Ram s/o Sh. Shagan Chand, R/O Dana Mandi, Ferozepur.
(Transferor)

(2) Sh. Subash Chander s/o Sh. Banwari Lal, R/O Ajan Mandi, Ferozepur Cantt.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share in a house situated in Ferozepur Cantt. as mentioned in sale deed No. 5750 of March, 1978 registered with the S.R. Ferozepur.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 15-11-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 15th November 1978

Ref. No. AP 435/FZR/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Ferozepur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Ferozepur on March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269 D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Sh. Gopi Ram s/o Sh. Shagan Chand, Ferozepur Cantt.

(Transferor)

(2) Sh. Raj Kumar s/o Sh. Banwari Lal, R/O Anaj Mandi, Ferozepur Cantt.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 of a house situated in Ferozepur Cantt. as mentioned in sale deed No. 5689 of March, 1978 registered with the S.R. Ferozepur.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 15-11-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-38009.

Ahmedabad-380009, the 9th August 1978

Ref. No. P.R. No. 600 Acq. 23-1063/19-8/78-79.—
Whereas, I. S. C. PARIKH.
being the Competent Authority under Section 269-B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
R. Survey No. 136 (Paiki) Village Fulpada, Katargam, Fulpada Road, Surat
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Surat on 9-3-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor ot pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Rasik Land Developers and Organisers, 170, Havadia Chakla, Ambaji Road, Surat.
(Transferor)

(2) Vishwakarama Industrial Cooperative Service Society Ltd. Havadia Chakla, Ambaji Road, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land construction upto plinth level and some upto ground level bearing R. Survey No. 136 (Paiki) in village Fulpada, Katargam—Fulpada Road, Surat admeasuring 6879 sq. yds. as described in the sale deed registered under registration No. 1690 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Surat.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated : 9-8-1978
Seal :

FORM ITNS —— —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM, HOUSE ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 1st September 1978

Ref. No. P.R. No. 608 Acq. 23-1065/19-8/78-79.—
Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Ward No. 4, Nondh No. 3884 and 522 situated at
Choki Sheri, Begampura, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Surat on 27-3-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Rasilaben Wd/of Kanchanlal Vithaldas;
2. Jayvadan Kanchanlal;
3. Shirish Kanchanlal;
4. Bipinchandra Kanchanlal;
5. Jyotiben Kanchanlal;
6. Gitaben Kanchanlal;
7. Dhansukhlal Ishverlal;
8. Sushilaben Dhansukhlal;
9. Rajnikant Dhansukhlal;
10. Chandresh Dhansukhlal;
Address : 1 to 6 : Hira Manek Bldg. Dadi Sheth Agiari Lane, Bombay.
7 to 10 : Daftari Road, Khandwala Chawl, Malad, Bombay.

(Transferor)

(2) 1. Uttamram Ambaram Modi;
2. Manjulaben Uttamram Modi;
3. Vijaykumar Uttamram Mehta;
4. Mahendrakumar Uttamram Mehta;
5. Vinayak Uttamram Mehta;
All at Zampa Bazar, Kharadi Sheri, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Ward No. 4, Nondh No. 3884 situated at Begampura-Choki Sheri, Surat admeasuring 229-09-95 sq. mts. as described in the sale-deed registered under registration No. 1844 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Surat.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Dated : 1st September 1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 1st September 1978

Ref. No. P.R. No. 610 Acq. 23-1086/7-4/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Ghar Gala No. 1, City C.T. No. 10/3, Wd. No. 8, Muni No. 780, situated at Mota Falia, Dasturvad, Navsari
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Navsari on 22-3-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Somabhai Parbhubhai Patel; P.A. Holder of Shri Vinodkumar Somabhai Patel and Shri Sureschchandra Somabhai Patel; Navsari.

(Transferor)

(2) 1. Shri Abdul Mohmed Bismilla;
2. Shri Suleman Mohmed Bismilla;
3. Shri Daud Mohmed Bismilla;
4. Shri Masum Mohmed Bismilla;
At : Dabhel, Uncha Mahollo;
Tal. Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing C.T.S. T. No. 103, S. No. 63, Ward No. 8, Muni No. 780, situated at Mota Falia, Dasturvad, Navsari, admeasuring 156 sq. yds. as described in the sale-deed registered under registration No. 1506 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Navsari.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition RangeII, Ahmedabad.

Dated : 1-9-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st September 1978

Ref. No. P.R. No. Acq.23-I-1620(710)/11-8/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Junagadh Veraval Highway Road, Vanthali situated at Opp : S.T. Bus Stand, Vanthali (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Manavadar on 20-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. M. M. & Co. of Vanthali
through its partners :
Pushpagauri Prabhudas Rajani Mill Plot,
Keshod (Dist. Junagadh) & Others.

(Transferor)

(2) 1. Shri Nadhori Abdulla Dada,
2. Shri Nadhori Noormomad Dada,
3. Shri Nadhori Kasam Dada
Opp : Haji Saheb's Masjid, Vanthali.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The shops and garage rooms standing on land admeasuring 7826.4 sq. yds. (i.e. 6543.60 sq. mts.) situated opposite to S.T. Bus Stand at Vanthali and as full described in the sale deed registered vide R. No. 372 dated 20-3-1978.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 1-9-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 1st September 1978

Ref. No. P.R. No. Acq.23-I-1604(711)/1-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
F.P. No. 277 of T.P.S. 20, S. No. 73-1 & 2, situated at Kochrab, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Ahmedabad on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object to:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the said Act to the following persons namely :—

(1) 1. Amitkumar Ambalal
2. Rakshaben Amitkumar both R/at "SUMERU", Nr. St. Xavier's College, Navrangpura, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Everbela Co-Op. Housing Soc. Ltd., through : Chairman :—
1. Shri Parmanand Shakerabhai Patel &
2. Secretary : Shri Sewantilal Mafatlal Shah, Waniyawad, Luharsheri, Saraspur, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land adm. 4441 sq yds. bearing F.P. No. 277, S. No. 73/1-2, T.P.S. 20, situated at Kocharab, Ahmedabad duly registered by the Registering Officer, Ahmedabad as per Sale Deed No. 19396/3-1-2-1975—37-G form received in the 1st fortnight of March, 1978.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 1-9-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th September 1978

Ref. No. Acq.23-I-1621(713)/11-8/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 280/1 & S. No. 280/2 situated at Village : Sultanawad, Tal. Manavadar, Dist. Junagadh. (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Manavadar on 18-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability, of the tansferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Godavriben Ramlal Kotecha
C/o. Vipul Industries, Sultanabad,
(Tal. Manavadar) Dist. Junagadh.

(Transferors)

(2) Proprietor of Kankaria Cotton Processors & Trustees of Premraj Kankaria Sons Trust—
Through :
Shri Vinaychand Premraj & Others,
Kankaria Bhawan, 6,
Mahadevnagar, Society, Ahmedabad.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece & parcel of land bearing S. No. 280/1 & 280/2 admeasuring 26204 sq. metre situated at Sultanabad village, Tal. Manavadar, Dist. Junagadh and duly registered by the Registering Officer, Manavadar as per sale deed No. 347/18-3-1978 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 4-9-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th September 1978

Ref. No. Acq.23-1-1621(714)/11-8/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Ginning & Pressing Factory known as M/s. Kankaria Cotton Processes situated at Village Sultanabad, Tal. Manavadar, Dist. Junagadh, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Manavadar on 19-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ashokkumar Ramlal Kotecha,
2. Godavriben Ramlal Kotecha
partners & proprietors of—
M/s. Vipul Industries, Sultanabad,
Tal. Manavadar, Dist.. Junagadh.

(Transferor)

(2) M/s. Kankaria Cotton Processors
Proprietor : Premraj Kankaria Sons Trust—
through trustees :
(1) Shri Viyaychand Premraj & Others,
Kankaria Bhawan, 6, Mahadevnagar Society,
Ahmedabad.

(Tansferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory buildings, godowns, houses, Ginhouses, Electric Room, pump-room, store-room & Office room etc. known as M/s. Kankaria Cotton Processes standing on land adm. 6 Acres, 19 Gunthas, situated at Village Sultanabad, Tal. Manavadar, Dist. Junagadh, duly registered with the Registered Officer, Manavadar on 19-3-1978 as per sale-deed No. 348/March, 1978 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 4-9-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380-009, the 12th September 1978

Ref. No. P.R. No. 613.Acq.23-1126/3-2/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. City S. No. 10935 (Paiki) City S. Sheet No. 51 & City S. No. 10934 (Paiki) situated at Western side of Railway godown, Palanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Palanpur in March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Supriyabhai Kantilal Mehta,
P.A. Holder : Kantilal Chhotalal Mehta;
1-A, Gitanjali,
Navroji Gamadia Cross Road,
Bombay-26.
(Transferor)

(2) Patel Kalidas Narsinhbhai;
Rampura (Sadarpur) Tal. Palanpur.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing City S. No. 10935 (Paiki) and City S. Sheet No. 51 and City S. No. 10934 (Paiki) admeasuring 6570.5 sq. ft. situated at Western side of Railway Godown, Palanpur, and as duly described in the sale-deed registered vide Registration No. 535 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Palanpur.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-9-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR,

HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD,

AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th September 1978

Ref. No. P.R. No. 614 Acq.23-1127/3-2/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. City S. No. 10935 (Paiki) City S. Sheet No. 51 & City S. No. 10934 (Paiki) situated at Western side of Railway godown, Palanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Palanpur in March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Supriyabhai Kantilal Mehta,
P.A. Holder : Kantilal Chhotalal Mehta;
1-A, Gitanjali,
Navroji Gamadia Cross Road,
Bombay-26.

(Transferor)

(2) Patel Girishchandra Kalidas (Minor),
Guardian : Patel Kalidas Narsinhbhai;
Rampura (Sadarpur) Tal. Palanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing City S. No. 10935 (Paiki) and City S. Sheet No. 51 and City S. No. 10934 (Paiki) admeasuring 6570.5 sq. ft. situated at Western side of Railway Godown, Palanpur, and as duly described in the sale-deed registered vide registration No. 536 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Palanpur.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-9-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380-009, the 12th September 1978

Ref. No. P.R. No. 615 Acq.23-1128/3-2/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. City S. No. 10935 (Paiki) City S. Sheet No. 51 and City S. No. 10934 (Paiki) situated at Western side of Railway godown, Palanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Palanpur in March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Supriyabhai Kantilal Mehta,
P.A. Holder : Kantilal Chhotalal Mehta;
1-A, Gitanjali,
Navroji Gamadia Cross Road,

(Transferor)

(2) Patel Laxmichand Narsinhbhai;
Rampura (Sadarpur) Tal. Palanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing City S. No. 10935 (Paiki) and City S. Sheet No. 51 and City S. No. 10934 (Paiki) admeasuring 6570.5 sq. ft. situated at Western side of Railway Godown, Palanpur, and as duly described in the sale-deed registered vide registration No. 537 in the month of March, 1978 by registering Officer, Palanpur.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-9-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th September 1978

Ref. No. P.R. No. 616, Acq. 23-1129/3-2/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. City S. No. 10935 (Paiki) City S. Sheet No. 51 & City S. No. 10934 (Paiki) situated at Western side of Railway Godown, Palnpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Palanpur in March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Supriyabhai Kantilal Mehta,
P.A. Holder : Kantilal Chhotalal Mehta;
1-A, Gitanjali,
Navroji Gamadia Cross Road,
Bombay-26.

(Transferor)

(2) Patel Harshadkumar Laxmichandbhai (Minor)
Guardian : Laxmichand Narsinhbhai;
Rampura (Sadarpur) Tal. Palanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing City S. No. 10935 (Paiki) and City S. Sheet No. 51 and City S. No. 10934 (Paiki) admeasuring 6570.5 sq. ft. situated at Western side of Railway Godown, Palanpur, and as fully described in the sale-deed registered vide registration No. 538 in the month of March, 1978 by Registering Officer, Palanpur

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-9-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 12th September 1978

Ref. No. P.R. No. 617 Acq.23-1130/3-2/78-79.—
Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
City S. No. 10935 (Paiki) City S. Sheet No. 51 & City S. No. 10934 (Paiki) situated at Western side of Railway Godown, Palanpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
Palanpur in March, 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Supriyabhai Kantilal Mehta,
P.A. Holder : Kantilal Chhotalal Mehta;
1-A, Gitanjali,
Navroji Gamadia Cross Road,
Bombay-26.

(Transferor)

(2) Patel Amratlal Narshinbhai;
Rampura (Sadarpur) Tal. Palanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing City S. No. 10935 (Paiki) and City S. Sheet No. 51 and City S. No. 10934 (Paiki) admeasuring 6570.5 sq. ft. situated at Western side of Railway Godown, Palanpur, and as fully described in the sale-deed registered vide registration No. 539 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Palanpur.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-9-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th eptember 1978

Ref. No. P.R. No. 618 Acq.23-1131/3-2/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. City S. No. 10935 (Paiki) City S. Sheet No. 51 & City S. No. 10934 (Paiki) situated at Western side of Railway godown, Palanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Palanpur in March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to the disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Supriyabhai Kantilal Mehta,
P.A. Holder : Kantilal Chhotalal Mehta;
1-A, Gitanjali,
Navroji Gamadia Cross Road,
Bombay-26.

(Transferor)

(2) Patel Iishwarlal Amratlal (Minor)
Guardian : Amratlal Narshibhai;
Rampura (Sadarpur) Tal. Palanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing City S. No. 10935 (Paiki) and City S. Sheet No. 51 and City S. No. 10934 (Paiki) admeasuring 6570.5 sq. ft. situated at Western side of Railway Godown, Palanpur, and as fully described in the sale-deed registered vide registration No. 540 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Palanpur.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-9-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th September 1978

Ref. No. ACQ.23-I/1615(717)/I-I/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 326 (part) T.P.S. 30 situated at New Asarwa, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 29-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanaiyalal Dahyabhai Patel,
Karta of H.U.F.,
838, Piplawalowas,
Old Asarwa, Ahmedabad-16.

(Transferor)

(2) Parnakunj Co-Op. H. Soc. Ltd.,
through : Secretary Shri Bhagwatkumar,
I. Patel, Near Umiya Mata's Mandir,
New Asarwa, Ahmedabad-16.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open piece & parcel of land admeasuring 1162 sq. yds. bearing S. No. 326 situated at Asarwa, Ahmedabad on duly registered by Registering Officer, Ahmedabad, vide Sale-deed No. 3361/29-3-1978 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 14-9-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th September 1978

Ref. No. Acq.23-I-1615(718)/1-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 326 (part) T.P.S. 30 situated at New Aswara, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad in March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kshmaben Kanaiyalal Patel,
838, Piplawalawas,
Old Asarwa, Ahmedabad-16.

(Transferor)

(2) Parnakunj Co-Op. H. Soc. Ltd.,
through : Secretary Shri Bhagwatkumar,
I. Patel, Near Umiya Mata's Mandir,
New Asarwa, Ahmedabad-16.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open piece & parcel of land admeasuring land 232.2 sq bearing S. No. 326 situated at Asarwa, Ahmedabad duly registered by Registering Officer, Ahmedabad, vide Sale-deed No. 3411/78 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 14-9-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th September 1978

Ref. No. P.R. No. Acq.23-I-1615(719)/1-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 247—T.P.S. 30 situated at Asarwa, Ahmedabad. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad in March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dahiben Dahyabhai Patel,
838, Piplawalowas,
Old Asarwa, Ahmedabad-16.

(Transferor)

(2) Parnakunj Co-Op. H. Soc. Ltd.,
through : Bhagwatkumar,
I. Patel, Near Umiya Mata's Mandir,
New Asarwa, Ahmedabad-16.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land adm. land 1331 sq. yds. bearing S. No. 247 situated at Asarwa, Ahmedabad duly registered by Registering Officer, Ahmedabad, vide Sale-deed No. 3412/78 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 14-9-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1978

Ref. No. P.R. No. Acq.23-I-1599(727)/1-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 440-2 situated at Vejalpur, Dist. Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 9-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dhanaji Kanaji Thakore,
Shri Maphaji Kanaji Thakore
Vejalpur, Taluka City,
Dist. Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Jagjivanrampark Co-Op. Hous. Society Ltd.,
C/o Bhikhabhai Vashrambhai Makwana,
Mahendarpura, Ambawadi,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 6655 sq. yds. bearing S. No. 440-2 situated at Vejalpur, City Taluka, Dist, Ahmedabad and as fully described in the sale-deed registered vide R. Nos. 2167 and 2168 dated 9-3-1978 by registering Officer, Ahmedabad.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 4-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1978

Ref. No. Acq.23-I-1616(728)/1-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 295, situated at Godasar, City Taluka, Ahmedabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 31-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent considration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facliiating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act'. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons namely :—

(1) 1. Shri Natverlal Gordhandas Modi,
2. Taraben Natverlal Modi
3. Shri Surendra Natverlal Modi
4. Shri Nilesh Natverlal Modi
Dhal's Pole,
Rasik Chawls, Astodia,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shivshakti Co-Op-Hous. Soc. Ltd.,
Through : Chairman,
Shri Amritbhai Ranchhodbhai Patel,
Abhidhan Society,
Maninagar, Ahmedabad.
2. Secretary :
Shri Shankerbhai Dhulabhai Patel,
Bhairavnath Road,
Maninagar, Ahmedabad-8.
3. Managing Committee Member :
Shri Naranbhai Gangaram Patel
10, Pritikunj Society,
Maninagar, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expire later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 3388 sq. Yds. bearing S. No. 295 on eastern side situated at Godasar, City Taluka Ahmedabad and as fully described in the sale deed registered by Regn. No. 3459 dated 31-3-1978.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 4-10-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1978

Ref. No. Acq.23-I-1642(730)/16-6/77-78.—Whereas, I S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 380/2 of Plots Nos. 65 to 71, situated at Behind P.D. Malaviya Commerce College, Gondal Road, Rajkot (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on March 1978, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kantilal Keshavji Karia,
4, Ramkrishnanagar, Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Dilip Jethalal Thakker,
Giripeth, Nagpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land adm. 3771-30 feet of plots Nos. 65 to 71 of S. No. 380/2, situated behind P.D. Malaviya Commerce College, Gondal Road, Rajkot, duly registered by Registering Officer at Rajkot vide sale-deed No. 2541/31-3-1978 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rnge-I, Ahmedabad.

Date : 4-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1978

Ref. No. Acq.23-I-1641(731)/16-6/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 398/2 of Plots Nos. 42, 43, 44, 51 & 72 to 75 situated at Behind P.D. Malaviya Commerce College, Gondal Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Rajkot on March 1978, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the nottce under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person, namely :—

(1) Shri Kantilal Keshavji Karia, 4, Ramkrishnanagar, Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Harish Jethalal Thakker, Giripeth, Nagpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter;

THE SCHEDULE

Open land admeasuring sq. yds. 5762.4 feet of Plot Nos. 42, 43, 44, 51 and 72 to 75 of Survey No. 398/2, situated behind P.D. Malaviya Commerce College, Gondal Road, Rajkot and duly registered by Registering Officer at Rajkot vide Sale-deed No. 2542/31-3-1978 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 4-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1978

Ref. No. Acq.23-I-1639(733)/16-6/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 398/2 Plot No. 76 to 81 situated at Behind P.D. Malaviya Commerce College, Gondal Road, Rajkot (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on March 1978, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money's or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kantilal Keshavji Karia,
4, Ramkrishnanagar, Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Pravin Jethalal Thakker,
Giripeth, Nagpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land admeasuring sq. yd. 4812-7 feet of plots Nos. 76 to 81 of Survey No. 398/2 situated behind P.D. Malviya Commerce College, Gondal Road, Rajkot duly registered by Registering Officer at Rajkot vide sale-deed No. 2544/31-3-78 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 4-10-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th October 1978

Ref. No. Acq.23-I-1640(732)/16-6/77-78.—Wheras, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax. Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 398/2, of Plots No. 29 to 38 situated at Behind P.D. Malaviya Commerce College, Gondal Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Rajkot on March 1978, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money's or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kantilal Keshavji Karia,
4, Ramkrishnanagar, Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Mahendra Bhavanji Thakkar,
Giripeth, Nagpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land admeasuring sq. yds. 4855-2 feet of plots Nos. 29 to 38 of Survey No. 398/2, situated behind P.D. Malviya Commerce College, Gondal Road, Rajkot, duly registered by Registering Officer at Rajkot vide sale-deed No. 2543/31-3-1978 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 4-10-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1978

Ref. No. P.R. No. 624 Acq.23-1064/19-8/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Ward No. 12, Nondh No. 576 situated at Rani Talav, Opp. Union High School, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 in the office of the Registering Officer at Surat in March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Vimlaben Nanubhai Desai;
2. Mukul Nanubhai Desai;
Both at Diwali Baugh, Athwa Lines, Surat.

(Transferor)

(2) Fatima Ismail Gheewala;
P.A. Holder : Shri Yunus Ahmed Gheewala, Rampura, Chhada Ole, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Ward No. 12, Nondh No. 576 situated at Rani Talav, Opp. Union High Schools, Surat as described in the sale-deed registered under registration No. 1756 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Surat.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR

HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD

AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1978

Ref. No. P.R. No. 625 Acq.23-1137/7-4/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Ward No. 2, H. No. 289, City S. No. 289, CIS Tika No. 6/1 S. No. 50 situated at Malesar, Wadi Street, Navsari (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Navsari in March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Home Phirozshah Baria,
Harbar Hights, N.A.
Savant Marg, Colaba,
Bombay-5.

(Transferor)

(2) 1. Shri Ranjitrai Govindji Darji,
2. Taraben Ranjitrai Darji,
Village : Salej, Tal. Gandevi Dist. Valsad
At present : H. No. 289, Malesar,
Wadi Street, Navsari,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing H. No. 289 C.S.T. Tika No. 6/1, S. No. 50, situated at Malesar, Wadi Street, Navsari, admeasuring 210 sq. yds. as described in the sale-deed registered under registration No. 1112 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Navsari.

S. C. PAREKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Dated : 10-10-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1978

Ref. No. P.R. No. 626 Acq.23-1138/19-7/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Ward No. 6, Nond No. 1276 & 1277 situated at Mahidharpura, Bhat Sheri, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat in March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Champaklal Nagindas,
2. Shri Hasmukhlal Nagindas,
3. Shri Jashvantlal Nagindas,
4. Smt. Sanaben Nagindas;
All at Mahidharpura, Bhut Sheri, Surat

(Transferor)

(2) Smt. Pushpaben Vasantlal,
Mahidharpura, Bhut Sheri,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Ward No. 6, Nondh No. 1276 and 1277 situated at Mahidharpura, Bhut Sheri Surat admeasuring 88+71=158 sq. yds. as described in the sale deed registered under registration No. 1677 and 1722 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Surat.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-10-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1978

Ref. No. P.R. No. 627 Acq.23-1139/19-7/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Ward No. 10/1095-A and 1098-B situated at Limdi Kui, Gopipura, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat in March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 260D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Babubhai Chimanlal Zaveri,
Self and as Manager of HUF,
Amliran, Makubhai Munsaf Sheri,
Surat.

(Transferor)

(2) 1. Shri Bhubanchandra Dulalchandra Mandal,
2. Shri Mohanchandra Dulalchandra Mandal,
3. Shri Kamalchandra Dulalchandra Mandal,
Amliran, Makubhai Munsaf Sheri,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Wd. No. 10, Nondh No. 1095-A and 1095-B situated at Limdikui, Gopipura, Surat admeasuring 149 sq. yds. as described in the sale-deed registered under registration No. 1776 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Surat.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1978

Ref. No. P.R. No. 628 Acq23-1140/7-4/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 640 paiki situated at Sandhkuva, Navsari, Dist. Valsad (and more fully described in the scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Navsari on 14-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money's or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11'of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ramanlal Khandubhai Vashi,
2. Shri Vijaykumar Ramanlal Vashi,
3. Shri Kiritkumar Ramanlal Vashi,
P. A. Holder of above three
Shri Natverlal Khandubhai
Juna Thana, Navsari.

(Transferor)

(2) Shri Karsanbhai Nagjibhai Patel,
Sardar Patel Society,
Navsari, Dist. Valsad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall l
in that Chaj

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 640 paiki situated at Sandhkuva, Navsari admeasuring 5522 sq. ft as described in the sale deed registered under registration No. 1625 in the month of March 1978 by the registering Officer, Navsari.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 12-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME--TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 10th October 1978

Ref. No. Acq.23-1-1694(734)/16-5/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 1298 situated at Lati Street No. 6 at Morvi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Morvi on 14-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to any tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ibrahim Bhachu,
Pakhali Sheri,
Morvi

(Transferor)

(2) 1. Shri Ramniklal Chhaganlal Patel, Ravapar Road, Morvi.
2. Shri Mansukhlal Govindji Ghetiya Mahavir Society, Morvi.
3. Shri Abhayakant Amritlal Mehta, 10, Shakti Plot, Morvi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 3 acres and 36 gunthas 18876 sq. yds.) bearing S. No. 1298 of village Vajepur, abuting Lati Street No. 6, at Morvi, and as fully described in the sale-deed registered vide No. 286 dated 14-3-1978.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 12-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 10th October 1978

Ref. No. Acq.23-I-1722(735)/16-6/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 33-B, building known as 'Doli', situated at Harihar Co-Op. H. Soc. Ltd., on south of Kolawad Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Rajkot on 31-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, *therefore, in pursuance of Section* 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Bipin Vishnuprasad Anjaria, 33-B, Harihar Co-Op. H. Soc. Ltd., south of Kolawad Road, Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Bhaskerrao Kalyanrao Rinkani, "Saurabh", Sarojini Road, Santacruz., Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building known as 'Doli' standing on land adm. 306-2-0 sq. yd. bearing Plot No. 33-B in Harihar Co-Op. Hous. Soc. Ltd., towards south Kolawad Road, Rajkot, duly registered by Registering Office vide Sale-deed No. 215/31-3-1978 and as fully described in the said sale deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 10-12-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 10th October 1978

Ref. No. Acq.23-I-1724(736)/16-6/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule
S. No. 451, Plot No. 101 situated at Main road from Race Course to Amrapali Talkies, Rajkot,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Rajkot on March 1978
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kusumben Jamnadas Mehta,
Jagnath Plot, No. 16,
Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Chhotalal Durlabhji &
Smt. Jaswant Chhotalal,
Jagnath Plot, 21/29, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing S. No. 451, Plot No. 101, land adm. 251-4-0 sq. yd. situated opp : Amrapali Talkies, Rajkot duly registered by the Registering Officer, Rajkot as per sale-deed No. 760/2-3-1978 and as full described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 10-10-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 10th October 1978

Ref. No. P.R. No. Acq. 23-1795 (737)/16-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Tika No. 8, Paiki No. 526, No. 2, Lekh No. 2780 dt. 19-6-23 (Sheet No. 57 No. 495) situated at Near Gin Mill Plot, Opp : Liberty Cinema, Dhorji, Dist. Rajkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dhoraji in March 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following ing persons, namely :—

(1) Shri Ramniklal Bhagwanji Patel, & Others, Prop : Dhoraji Gin Mill Company, Opp : Liberty Cinema Dhoraji, Dist. Rajkot.

(Transferor)

(2) Dr. Miss Hemangani Champaklal Trivedi & Others, Sole Proprietor of Dr. Trivedi's Maternity & Nursing Home, near Gin Mill Plot. Opp : Liberty Cinema, Dhoraji, Dist. Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building known as "Dr. Trivedi's Maternity and Nursing Home Dhoraji" standing on land adm. 620 sq. yds. bearing Tika No. 8, Paiki No. 526, No. 2, Lekh No. 2780, dt. 19-6-23, (Sheet No. 57, No. 495) duly registered by Registering Officer, Dhoraji, vide sale deed No. 326/6-3-1978 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 10-12-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 21st October 1978

Ref. No. Acq.23-I-1721(740)/16-6/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No .
Residential building standing on land 395-6-84 sq. yds situated at Lalji Parekh's street, Khatriwad, Rajkot.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 14-3-1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1 of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanaiyalal Dalpatram Mehta himself & Power of Attorney holder of Shrimati Narmadaben Dalpatram Mehta & Others, at Bhaktinagar Society main Road, Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Jivanlal Lalji Ranpura & Others of Pragiya Soni Jasubhai Rathodbhai Trust, Khatriwad, Ladhubha Utara Street, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential building standing on land adm. sq. yds. 395-6-84 situated at Khatriwad Lalji Parekh Street, Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot vide sale-deed No. 893/14-3-1978 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 21-10-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
CENTRAL REVENUE BUILDING
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 21st October 1978

Ref. No. Acq.23-I-1730(741)/18-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nos. 2 Paik 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 34, 35, 36, 37 & 38 in S. No. 884 situated at left side of Dhrangadhra Morvi Road, near Bridge, Dhrangadhra (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Dhrangadhara on 23-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Shah Chandulal Kasalchand &
2. Shri Shah Dalichand Maganlal, Green Chowk, Dhrangadhara, Dist. Surendranagar.

(2) Shri Jadeshwar Co-op. Housing Society, Dhrangadhara—through : President Shri B. N. Kabani, C/o Assistant Collector's Office, Man-Mehelet, Dhrangadhara, Dist. Surendranagar.

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing Nos. 2, Paiki 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 34, 35, 36, 37 & 38 in S. No. 884 locatel on the left hand side of Dhrangadhara Morbi Road, near Bridge, Crossing, Dhrangadhara registered duly by registering Officer at Dhrangadhara vide sale-deed No. 299/23-3-1978 and as fully described in the said sale-deed.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 21-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD

Ahmedabad-380,009, the 23rd October 1978

Ref. No. P.R. No. 629 Acq.23-1987/7-4/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Tika No. 9/1, Sur. No. 48 paiki situated at Malekwad, Navsari (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Navsari on 2-3-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Bai Kherunisa Nasiruddin,
2. Taherunnisa Fariddin,
3. Jamilunnisa Rajiyudin,
4. Najamunnisa Amiruddin,
All at Malekvad, Navsari.

(Transferor)

(2) Chhotubhai Naranji Patel & Co.
Partner : Shri Chhotubhai Naranjibhai Patel,
11/32, Nanavat, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Tika No. 9/1, S. No. 48, paiki situated at Malekvad, Navsari admeasuring 20473 sq. ft. as described in the sale deed registered under registration No. 1102 registered in the month of March, 1978 by the registering Officer, Navsari.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 23-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380,009, the 23rd October 1978

Ref. No. P.R. No. 630 Acq.23-1108/19-8/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Ward No. 5, Nondh No. 933 situated at Jada Khali, Mahidherpura, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 20-4-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimad Sureshwar Bhagwan,
Shrimad Nrusinhacharya,
Nrusinha Ashram, Bhutdi Zampa,
Baroda.

(Transferor)

(2) Shree Surati Kansara Panch Subhechak Mandal,
Trustees :

1. Shri Jagjivandas Chhabildas;
2. Shri Babubhai Fakirchand,
3. Shri Tribhovandas Damodardas;
4. Shri Jethalal Motiram,
5. Shri Chimanlal Lallubhai,
5/962, Jada Khadi, Mahidharpura,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing Ward No. 5, Nondh No. 933, situated at Jada Khadi, Mahidharpura, Surat admeasuring 228 sq. yds. as described in the sale-deed registered under registration No. 2331 in the month of April, 1978 by the registering Officer, Surat.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date 23-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD

Ahmedabad-380009, the 24th October 1978

Ref. No. P.R. No. 631 Acq.23-1141/6-1/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 532 (Paiki) Plot No. 24, 25, 28, 29, 32, 33 situated at Sayaji Ganj, Race Course Road, Vishvas Colony, Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office o fthe Registering Officer at Baroda in March, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other acts which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. A. M. Patel & Co.,
205, Yashkamal Building,
Station Foad, Baroda.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Saryu Subhashchandra Patel,
1-A, Alkapuri Shopping Centre,
Race Course Road, Baroda-5.

2. Smt. Sulochana Dinubhai Desai,
2-A, Sterling Appartment,
Race Course Road, Baroda-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property being Flat 1-A, situated at Alkapuri Shopping Centre Vishwas Colony, Race Course, Road Baroda at S. No. 532 (Paiki), Plot No. 24, 25, 28, 29, 32, 33 and as described in the sale deed registered under registration No. 679 in the month of March, 1978 by the registering Officer, Baroda.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 24-10-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 18th September 1978

Ref. No. A.R. III/1635/2/78-79.—Whereas, I, V. K. SUBRAMANIAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 1A-pt-21A/3, 99-D situated at Gundavli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, (1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 27-3-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Pragji Jamnadas Dossa, Parmanand Jamnadas Dossa and Anandji Jamnadas Dossa, C/O Gokaldas Dossa & Co., East & West Insce. Co. Bldg., Apollo St., Bombay-23.

(Transferor)

(2) Bombay Paxwell Pvt. Ltd. Metalage Industries Compound Subhas Road, Jogeshwari (East) Bombay-60.

(Transferee)

(3) Bombay Poxwell Pvt. Ltd. Metalage Industries Compound Subhas Road, Jogeshwar (East) Bombay-60.

[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground together with the messuages, hereditaments and premises, admeasuring 6727.1 sq. metres or thereabout, bearing C.T.S. No. 73 and 217 of Division, out of the larger pieces or parcels of land bearing part of lands bearing the undermentioned numbers viz. Survey No. 1A(part) S. No. 21-A/1 Hissa No. 3 part and Survey No. 99-D-1 part, all of Gundavli village, Andheri (East), now in Greater Bombay in the Registration Sub-District and District of Bombay city and Bombay Suburban.

V. K. SUBRAMANIAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay.

Dated : 18-9-1978
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978